

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2004

विषय सूची

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	विहंगावलोकन	vii
	अध्याय–1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	3
1.3	संग्रह की लागत	4
1.4	कर निर्धारण के बकाये मामले	5
1.5	संग्रह का विश्लेषण	6
1.6	लेखा परीक्षा के परिणाम	6
1.7	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	6
1.8	लोक लेखा समिति में विचार–विमर्श हेतु 30 नवम्बर 2003 तक लम्बित लेखापरीक्षा प्रस्तर/समीक्षायें	8
	अध्याय–2 : व्यापार कर विभाग	
2.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	9
2.2	नयी औद्योगिक इकाइयों को गलत पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान करना	9
2.3	पर्याप्त जमानत के बिना व्यापारियों का पंजीयन	12
2.4	व्यापारियों का पंजीयन न किया जाना	13
2.5	अपात्र इकाइयों को गलत कर मुक्ति प्रदान करना	14

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.6	अनियमित विज्ञप्ति के कारण कर में छूट	15
2.7	छूट की अनियमित स्वीकृति	15
2.8	केन्द्रीय बिक्री–कर का अनारोपण/कम आरोपण	18
2.9	माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण	20
2.10	करापवंचन	21
2.11	गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण	23
2.12	मान्यता प्रमाण–पत्र की अनियमित स्वीकृति	24
2.13	घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग	24
2.14	अर्थदण्ड का न लगाया जाना	25
	अध्याय–3 : राज्य आबकारी	
3.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	27
3.2	आसवनियों के कार्यकलाप पर समीक्षा	28
3.3	देशी मदिरा की मासिक न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्र का उठान न करने से आबकारी शुल्क की क्षति	37
	अध्याय–4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	
4.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	39
4.2	"करों एवं फीस के निर्धारण एवं वसूली" पर समीक्षा	39
4.3	अतिरिक्त कर (यात्री कर) का अवनिर्धारण	44
4.4	अतिरिक्त कर का कम निर्धारण	45
	अध्याय–5 : अन्य कर प्राप्तियाँ	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	47
	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	
5.2	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	48

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
5.3	विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	48
5.4	स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	49
	भू–राजस्व	
5.5	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	49
	विद्युत शुल्क	
5.6	विद्युत शुल्क का न/कम लगाया जाना	50
5.7	विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	50
	अध्याय–6 : अन्य विभागीय प्राप्तियाँ	
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	53
	वन विभाग	
6.2	बाँस का विदोहन न किये जाने के कारण राजस्व की क्षति	53
	लोक निर्माण विभाग	
6.3	रायल्टी जमा का सत्यापन न किया जाना	54

प्राक्कथन

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 2002–2003 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 26 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/कम आरोपण आदि से संबधित 1546.48 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं :

1. सामान्य

- वर्ष 2002–03 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व, दोनों कर (12783.81 करोड़ रूपये) तथा करेतर (1913.49 करोड़ रूपये) विगत वर्ष के दौरान 12175.89 करोड़ रूपये के विपरीत 14697.30 करोड़ रूपये रहा।

(प्रस्तर 1.1.1)

- वर्ष 2002–03 के दौरान व्यापार–कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, वन प्राप्तियों तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में 2304.17 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 2629 मामलों का पता चला। वर्ष 2002–03 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 10.97 करोड़ रूपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं कम आरोपण आदि के 305 मामले स्वीकार किये जिसमें से सन्निहित 27.59 लाख रूपये के 56 मामले वर्ष 2002–03 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

(प्रस्तर 1.6)

- 2727.30 करोड़ रूपये की धनराशि के 31 दिसम्बर 2002 तक निर्गत 9308 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 15741 लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 2003 तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.7)

2. व्यापार कर

- नयी औद्योगिक इकाइयों को अनियमित पात्रता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 1048.36 करोड़ रूपये की करमुक्ति या कर में छूट प्रदान की गयी।

(प्रस्तर 2.2.1 से 2.2.3)

- पंजीयन जारी करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के कारण शासन को 87.20 करोड़ रूपये राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 2.3)

- अपात्र इकाइयों को 44.71 करोड़ रूपये की कर मुक्ति प्रदान की गयी।

(प्रस्तर 2.5.1)

- गलत दर से कर लगाये जाने के फलस्वरूप 14.68 करोड़ रूपये केन्द्रीय बिक्री कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.8)

3. राज्य आबकारी

आसवनियों के कार्यकलाप पर समीक्षा में यह पता चला कि :–

- अलकोहल के कम उत्पादन के कारण शासन को 112.93 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.2.5)

- मार्गस्थ छीजन में कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस) की कमी से शासन को 56.64 करोड़ रूपये की क्षति उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3.2.6)

- आयातित राज्य के आबकारी अभिकरणों द्वारा समय से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर 1.19 करोड़ रूपये का प्रशमन शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.8)

- होलोग्राम के छीजन पर 6.37 करोड़ रूपये के आबकारी अभिकर की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.2.10)

- 1.30 करोड़ रूपये अनुज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.2.11)

- देशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण आबकारी अभिकर के कम आरोपण के फलस्वरूप 0.55 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.12)

4. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

करों एवं फीस के निर्धारण एवं वसूली पर समीक्षा में यह पता चला कि :–

- 2.96 करोड़ रूपये के अतिरिक्त कर का कम निर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 4.2.6)

- सार्वजनिक सेवा यानों पर 7.64 करोड़ रूपये के अतिरिक्त कर को आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.8)

- अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान के लिये 65.61 करोड़ रूपये की शास्ति को वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.10)

5. अन्य कर प्राप्तियाँ

- भूमि/भवनों के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप 44.26 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 5.2)

- विद्युत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण के फलस्वरूप 5.86 करोड़ राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 5.7)

6. अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

- बाँसों पर नियमित वार्षिक संबर्धन कार्य न कराए जाने के करण 56.39 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुई।

(प्रस्तर 6.2)

- रायल्टी के भुगतान का सत्यापन न किए जाने के फलस्वरूप 15.86 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 6.3)

अध्याय–1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
(क) कर राजस्व	7912.31	9400.91	10979.97	10388.82	12783.81
(ख) करेतर राजस्व	1475.06	2011.74	1944.65	1787.07	1913.49
योग	9387.37	11412.65	12924.62	12175.89	14697.30
II. भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
(क) विभाज्य संघीय अंश करों में राज्य का भाग	5768.92	7478.90	9045.47	10130.49	10814.87♣
(ख) सहायक अनुदान	2222.40	2603.57	2773.18	3291.53	2309.02
योग	7991.32	10082.47	11818.65	13422.02	13123.89
III. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I + II)	17378.69	21495.12	24743.27	25597.91	27821.19
IV. I से III की प्रतिशतता	**54**	**53**	**52**	**48**	**53**

1.1.2 वर्ष 2002–03 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़े अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :

♣ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2002–03 के वित्त लेखा में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11' देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक कर राजस्व के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044–सेवा कर, 0045 सामग्री व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2001–02 के सन्दर्भ में 2002–03 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2001–02 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	व्यापार कर	3777.89	3703.59	5436.52	5052.40	6850.93	(+) 1798.53	(+) 35.60
2.	राज्य आबकारी	1631.34	2126.33	2238.54	1961.38	2555.05	(+) 593.67	(+) 30.27
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1031.78	1177.57	1269.75	1429.29	2078.68	(+) 649.39	(+)45.43
4.	मोटर स्प्रिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	1008.76	1359.31	586.39	1105.70	272.81	(–) 832.89	(–) 75.33
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	238.18	100.26	85.81	76.65	77.33	(+) 0.68	(+) 0.89
6.	वाहनों पर कर	211.30	512.10	543.08	503.04	618.84	(+) 115.80	(+)23.02
7.	गन्नें के क्रय पर कर	71.02	36.35	95.45	5.00	–	(–) 5.00	(–) 100.00
8.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	100.85	126.41	136.30	9.22	145.29	(+) 136.07	(+) 1475. 81
9.	भू–राजस्व	88.34	116.09	69.85	72.93	64.23	(–) 8.70	(–)11.93
10.	आय और व्यय पर अन्य कर	शून्य	0.56	0.00	17.20	16.91	(–) 0.29	(–) 1.69
11.	कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	0.01	1.16	9.22	0.00	0.02	(+) 0.02	(+) 100.00
12.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	136.87	135.89	504.58	152.34	100.02	(–) 52.32	(–) 34.34
13.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	15.97	5.29	4.49	3.67	3.70	(+) 0.03	(+) 0.82
	योग	**7912.31**	**9400.91**	**10979.97**	**10388.82**	**12783.81**	(+) **2394.99**	(+) **23.05**

अन्तर के लिए कारण, जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि दिसम्बर 2003 में शासन से पूछा गया था, प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2004)।

1.1.3 वर्ष 2002–03 के लिये करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़ों के साथ अगले पृष्ठ पर दी गई सारिणी में दर्शाये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2001–2002 के सन्दर्भ में 2002–2003 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2001–2002 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवाएँ	96.78	126.80	55.48	39.44	48.28	(+) 8.84	(+) 22.41
2. ब्याज प्राप्तियाँ	428.00	476.68	525.17	543.49	515.38	(–) 28.11	(–) 5.17
3. वानिकी एवं वन्य जीव	125.91	160.52	76.86	68.31	86.27	(+) 17.96	(+) 26.29
4. बृहत एवं मध्यम सिंचाई	49.13	40.16	282.13	115.76	90.12	(–) 25.64	(–) 22.15
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	101.34	137.63	177.24	137.66	255.35	(+) 117.69	(+) 85.49
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	102.58	103.70	61.51	131.47	110.95	(–) 20.52	(–)15.61
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	145.81	180.17	196.44	190.19	262.54	(+) 72.35	(+) 38.04
8. पुलिस	74.84	53.17	85.29	67.38	95.40	(+) 28.02	(+) 41.59
9. क्रॉप हस्बेन्ड्री	17.53	16.51	58.36	75.77	25.58	(–) 50.19	(–) 66.24
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.16	26.37	23.53	36.33	19.59	(–)16.74	(–) 46.08
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	33.02	34.97	31.74	31.14	41.44	(+) 10.30	(+) 33.08
12. लघु सिंचाई	35.09	36.61	18.96	17.73	12.11	(–) 5.62	(–) 31.70
13. सड़क एवं सेतु	22.06	24.30	29.93	16.27	17.97	(+) 1.70	(+) 10.45
14. लोक निर्माण	21.90	26.77	26.94	14.66	25.26	(+) 10.60	(+) 72.31
15. सहकारिता	4.62	17.76	6.54	5.23	6.18	(+) 0.95	(+) 18.16
16. अन्य	199.29	549.62	288.53	296.24	301.07	(+)4.83	(+)1.63
योग:	**1475.06**	**2011.74**	**1944.65**	**1787.07**	**1913.49**	**(+) 126.42**	**(+) 7.07**

अन्तर के लिए कारण, जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि दिसम्बर 2003 में शासन से पूछा गया था, प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2004)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2002–03 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
(क) कर राजस्व				
1. व्यापार कर	5493.70	6850.93	(+) 1357.23	(+) 24.71

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
2. राज्य आबकारी	2696.33	2555.05	(–) 141.28	(–) 5.24
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2084.04	2078.68	(–) 5.36	(–) 0.26
4. मोटर स्प्रिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	1885.00	272.81	(–) 612.19	(–) 85.53
5. माल एवं यात्रियों पर कर	518.86	77.33	(–) 441.53	(–) 85.10
6. वाहनों पर कर	350.45	618.84	(+) 268.39	(+) 76.58
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	171.35	100.02	(–) 71.33	(–) 41.63
8. गन्नें के क्रय पर कर	16.67	–	(–) 16.67	(–) 100.00
9. विद्युत पर कर एवं शुल्क	166.48	145.29	(–) 21.19	(–) 12.73
10. भू–राजस्व	96.32	64.23	(–) 32.09	(–) 33.32
(ख) करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाएँ	81.10	48.28	(–) 32.82	(–) 40.47
2. ब्याज प्राप्तियाँ	447.34	515.38	(+) 68.04	(+) 15.21
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	70.61	86.27	(+) 15.66	(+) 22.18
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	196.50	90.12	(–) 106.38	(–) 54.14
5 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	249.45	255.35	(+) 5.90	(+) 2.37
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	250.00	262.54	(+) 12.54	(+) 5.02

अन्तर के लिए कारण, जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि जनवरी 2004 में शासन से पूछा गया था, प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2004)।

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ–साथ वर्ष 2001–02 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2001–02 के लिए अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5	6
व्यापार कर	2000–01	6059.47	135.62	2.2	
	2001–02	6158.55	139.99	2.3	1.26
	2002–03	6850.93	167.40	2.4	

1	2	3	4	5	6
वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	2000–01	641.00	10.57	1.6	2.99
	2001–02	644.10	11.27	1.7	
	2002–03	696.17	11.76	1.7	
राज्य आबकारी	2000–01	2237.75	28.09	1.3	3.21
	2001–02	1963.89	24.67	1.3	
	2002–03	2555.05	25.75	1.01	
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	2000–01	1268.86	25.56	2.01	3.51
	2001–02	1473.88	19.82	1.3	
	2002–03	2078.68	36.63	1.8	

1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, का विवरण तालिका में दिया गया है :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1998–99	442379	466899	909278	489535	419743	53.84
1999–2000	457508	489838	947346	489357	457989	51.66
2000–01	457989	461697	919686	490853	428833	53.37
2001–02	428833	524561	953394	485771	467623	50.95
2002–03	467623	529858	997481	521969	475512	52.33

यह देखा गया कि वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के प्रारम्भिक अवशेष से पूर्ववर्ती वर्षों के अन्त अवशेष में भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह भिन्नता अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटियों के सुधार के कारण है। विभाग को अभिलेखों के रख–रखाव की प्रणाली ठीक करने की आवश्यकता है जिससे कि आँकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

1.5 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 2002–03 के दौरान व्यापार–कर के सकल संग्रह के विवरण (पूर्व निर्धारण के स्तर पर तथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़ों के साथ जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, सारणी में नीचे दिये गये हैं।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूर्व निर्धारण के स्तर पर संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संग्रहीत धनराशि	वापसी की धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	कालम–2 की 5 से प्रतिशतता
2000–01	5934.99	124.48	37.44	6022.03	98
2001–02	6003.61	134.24	23.70	6114.15	97
2002–03	6894.04	293.73	32.84	7100.93	97

मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष से विगत तीन वर्षों के दौरान व्यापार–कर विभाग द्वारा संग्रहीत राजस्व की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि पूर्व निर्धारण स्तर पर राजस्व का संग्रह 97 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच रहा।

1.6 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–03 के दौरान व्यापार–कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, विद्युत शुल्क, लोक निर्माण विभाग, एवं वन प्राप्तियाँ आदि के अभिलेखों की नमूना जाँच से 2629 मामलों में 2304.17 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2002–03 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 305 मामलों में 10.97 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 56 मामलों में 27.59 लाख रूपये 2002–03 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे, शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 2 समीक्षाओं सहित 26 प्रस्तर हैं जिसमें 1546.48 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 136 मामलों में 109.91 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है। अवशेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2003)।

1.7 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क, फीस आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पाई गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2002 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2003 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं :

क्र. सं.		2001	2002	2003
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8504	9323	9308
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	15867	17168	15741
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	5080.99	5196.31	2727.30

जून 2003 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	978	2100	1990–91 से 2002–03
2	व्यापार–कर	2697	4642	1984–85 से 2002–03
3	राज्य आबकारी	685	957	1984–85 से 2002–03
4	भू–राजस्व	796	1025	1987–88 से 2002–03
5	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	999	2048	1984–85 से 2002–03
6	लोक निर्माण	445	731	1986–87 से 2002–03
7	गन्ने के क्रय पर कर	106	121	1985–86 से 2002–03
8	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1672	2897	1984–85 से 2002–03
9	कृषि	220	339	1989–90 से 2002–03
10.	विद्युत शुल्क	326	360	1988–89 से 2002–03
11.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	118	187	1991–92 से 2002–03
12.	सहकारिता	112	125	1985–86 से 2002–03
13.	मनोरंजन कर	154	209	1986–87 से 2002–03
	योग	**9308**	**15741**	

इसे शासन के संज्ञान में दिसम्बर 2003 में लाया गया था। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है (दिसम्बर 2003)।

1.8 लोक लेखा समिति में विचार–विमर्श हेतु 30 नवम्बर 2003 तक लम्बित लेखापरीक्षा प्रस्तर/समीक्षाएँ

लोक लेखा समिति में विचार–विमर्श हेतु लम्बित लेखापरीक्षा प्रस्तरों/समीक्षाओं का विवरण निम्नवत है:–

वर्ष	व्यापार कर	राज्य आबकारी	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	भू–राजस्व	अन्य राजस्व प्राप्तियाँ	वन प्राप्तियाँ	अन्य विभागीय प्राप्तियाँ
1984–85	10	शून्य	09	09	02	शून्य	11	09
1985–86	11	07	16	04	05	07	11	14
1986–87	12	04	23	04	03	05	11	14
1987–88	14	10	17	05	05	06	08	शून्य
1988–89	19	11	09	04	04	05	07	16
1989–90	12	10	09	02	06	04	11	20
1990–91	17	06	07	02	04	05	11	16
1991–92	13	06	05	04	02	05	06	11
1992–93	13	09	11	03	02	05	09	14
1993–94	15	07	12	03	02	04	06	13
1994–95	09	07	12	03	02	शून्य	08	शून्य
1995–96	05	03	05	01	शून्य	05	08	03
1996–97	13	06	08	03	01	04	01	05
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	04	शून्य	04
1998–99	03	शून्य	शून्य	05	शून्य	02	शून्य	शून्य
1999–2000	08	01	08	04	04	शून्य	03	शून्य
2000–01	13	06	04	02	03	04	05	05
योग:–	187	93	155	58	45	65	116	144
							सकल योग	863

अध्याय–2: व्यापार–कर विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–03 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच में 1514 मामलों में 1734.08 करोड़ रूपये के कम करारोपण, अर्थदण्ड, ब्याज के अनारोपण तथा कम आरोपण एवं कर की अनियमित छूट आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण या कम आरोपण	512	13.02
2.	अनियमित छूट	192	2.11
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	49	0.19
4.	कर की गलत दर	124	0.68
5.	माल का गलत वर्गीकरण	68	6.36
6.	आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	85	1.21
7.	केन्द्रीय बिक्री–कर से सम्बन्धित अनियमितताऐं	55	14.83
8.	कम कर का लगाया जाना	70	0.05
9.	अन्य अनियमितताऐं	359	1695.63
	योग	**1514**	**1734.08**

वर्ष 2002–03 के दौरान विभाग ने 125 मामलों में 3.60 करोड़ रूपये कर कम लगाया जाना स्वीकार किया है, जिसमें 56 मामले में जिनकी आच्छादित धनराशि 27.59 लाख रूपये रही वर्ष 2002–03 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। इनमें से 34 मामलों में निहित धनराशि 5.48 लाख रूपये की वसूली मार्च 2003 तक हो चुकी थी।

कुछ निदर्शी मामले जिसमें 1236.90 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

2.2 नयी औद्योगिक इकाइयों को गलत पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान करना

2.2.1 उत्तर प्रदेश व्यापार–कर अधिनियम, 1948 धारा 4–क सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–8 (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार, नई औद्योगिक इकाइयों तथा वर्तमान नई इकाईयाँ जो कि 1 अप्रैल 1995 या उसके बाद विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा विविधीकरण करती हैं, के लिए कर से छूट अथवा कर की दर में कमी हेतु विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। कर से छूट की आर्थिक सीमा नई स्थापित इकाईयों के लिए उनके स्थिर पूँजी विनिवेश के निश्चित प्रतिशत तक ही दी गयी थी, तथा जो इकाइयाँ पहले ही स्थापित हैं तथा विस्तारीकरण अथवा

विविधीकरण करती हैं, उनके लिए आर्थिक सीमा उनके अतिरिक्त स्थिर पूँजी विनिवेश तक ही सीमित थी। न्यायिक♣ रूप से यह निर्णीत किया गया है कि ऐसी इकइयों को कर मुक्ति केवल अतिरिक्त स्थिर पूँजी निवेश तक सीमित है।

नौ व्यापार कर मण्डलों♥ में यह पाया गया कि 34 वर्तमान इकाइयाँ जो कि 1 अप्रैल 1995 के बाद विस्तारीकरण या विविधीकरण का कार्य किया है, को अतिरिक्त, स्थिर पूँजी विनिवेश 936.68 करोड़ रूपये के स्थान पर 150 से 250 प्रतिशत तक 1441.39 करोड़ रूपये की कर की छूट या कर की दर में कमी हेतु पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया। इस प्रकार 504.71 करोड़ रूपये की कर की छूट या कर की दर में कमी अनियमित थी।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 2003 एवं अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

2.2.2 उत्तर प्रदेश व्यापार–कर अधिनियम की धारा 4–क (2) की उप–धारा (ग) सपठित जारी शासकीय विज्ञप्ति 27,जुलाई 1991 तथा 31 मार्च 1995 के अन्तर्गत कर की छूट या कर की दर में कमी उन इकाइयों को भी प्रदान की गयी जिन इकाइयों ने पूर्व में उत्पादित माल से भिन्न माल बनाने हेतु विविधीकरण किया है। पुनः राज्य में दो पहिया वाहनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक योजना सरकार द्वारा विज्ञप्ति 19 जुलाई 1996 के अनुसार उन इकाइयों को कर की छूट या कर की दर में कमी की सुविधा बढाई गयी जो इकाइयाँ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नये विदेशी पूँजी विनिवेश के अन्तर्गत 1 दिसम्बर 1994 से नयी इकाई स्थापित करके या विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण करके 50 करोड़ रूपये या अधिक स्थिर पूँजी विनिवेश करती हैं। कमिश्नर व्यापार–कर उत्तर प्रदेश द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 13 अगस्त 2001 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि श्वेत श्याम तथा रंगीन टेलीविजन एक ही प्रकृति की वस्तुएँ हैं।

छः व्यापार–कर मण्डलों (गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा वाराणसी) में यह पाया गया कि आठ इकाईयों के मामलों में विविधीकरण योजना के अन्तर्गत उन्हीं वस्तुओं के निर्माण हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया जो वस्तुएँ स्वभावतः उन्हीं वस्तुओं के अनुरूप थी जिनका निर्माण पूर्व में ही ऐसी इकाइयों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार अधिनियम/विज्ञप्ति के वर्तमान प्रावधानों के प्रतिकूल विविधीकरण योजना के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने के फलस्वरूप 149.51 करोड़ रूपये की अधिक कर मुक्ति प्रदान की गयी जैसा की विवरण में निम्नवत दिया गया है :–

♣मेसर्स कजरिया सिरेमिक्स लि0 बनाम कमिश्नर व्यापार कर (2000 एन.टी.एन.) (वी.ओ.यल. 16)–89 इलाहाबाद, उच्चन्यायालय (निर्णित दिनांक 13.01.1999)।

♥आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नोयडा तथा वाराणसी।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	छूट की अवधि	इकाई द्वारा पूर्व में उत्पादित माल का नाम	विविधीकरण योजना के अन्तर्गत उत्पादित माल का नाम	पात्रता प्रमाणपत्र के द्वारा देय छूट की धनराशि
1.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–1, कानपुर	10 जुलाई 1995 से 9 जून 2003, 28 मार्च 1996 से 27 मार्च 2004	बाल प्वाइन्ट पेन तथा रिफिल	रिट्रैक्टिंग बाल प्वाइन्ट पेन तथा निडिल प्वाइन्ट पेन, रोलर बाल प्वाइन्ट पेन, और पारदर्शी पेन,	3.48 3.48
टिप्पणीः सहायक कमिश्नर (क0नि0)–। कानपुर के पत्र 23 जुलाई 2002 के अनुसार निडिल प्वाइन्ट पेन, रोलर बाल प्वाइन्ट पेन, तथा बाल प्वाइन्ट पेन, एक ही प्रकृति की वस्तुयें हैं :–					
2.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–5, कानपुर)	6 मई 1999 से 5 मई 2007 22 सितम्बर 1996 से 21 सितम्बर 2004	350 सी0सी0 इंजिन क्षमता वाला मोटर युक्त दो पहियावाहन	85 सी0सी0 स्कूटर (दो स्ट्रोक) 125 सी0सी0 स्कूटर (चार स्ट्रोक) 125 सी.सी. इंजिन क्षमता का मोटर युक्त दो पहियावाहन	54.01 51.24
टिप्पणीः सहायक कमिश्नर (क0नि0)–5, कानपुर के पत्र दिनांक 27 मार्च 1998 के अनुसार विविधीकरण के द्वारा उत्पादित स्कूटर पूर्व में उत्पादित स्कूटर के समान प्रकृति के हैं, इसके अतिरिक्त विविधीकरण के अंतर्गत उत्पादित स्कूटर उसी विदेशी सहयोग से था।					
3.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–10, कानपुर	23 सितम्बर 1994 से 22 अक्टूबर 2004	पेन्ट	प्राइमर	10.27
4.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–4, मेरठ	17 मार्च 2000 से 16 मार्च 2008	सभी प्रकार के पेपर बोर्ड, अन कोटेड क्राफ्ट पेपर तथा पेपर बोर्ड इन रोल अथवा शीट	डुप्लेक्स बोर्ड और क्राफ्ट पेपर	4.12
5.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–6, मेरठ	29 सितम्बर 1995 से 28 सितम्बर 2003	पेपर तथा पेपर बोर्ड	पेपर तथा सभी प्रकार के पेपर तथा पेपर बोर्ड	6.16
टिप्पणीः भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी पेपर तथा पेपर बोर्ड निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 30 नवम्बर 1989 जो बाद में विविधीकरण योजना हेतु सभी प्रकार के पेपर बोर्ड के निर्माण हेतु 31 अगस्त 1994 को जारी किया गया।					
6.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)– ।, गोरखपुर	13 नवम्बर 1996 से 12 नवम्बर 2004	एम.एस.इंगट सरिया एम.एस. आयरनबार, एम. एस. स्ट्रक्चरल्स	एम.एस.बार एम.एस. स्ट्रक्चरल्स तथा मिस रोल्स	4.09
7.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–2, मुरादाबाद	24 मार्च 1999 से 23 मार्च 2009	टिसू तथा स्पेशल पेपर राइटिंग एब्जार्विंग क्राफ्ट तथा विविध प्रिंटिंग पेपर	पेपर एण्ड पेपर बोर्ड क्राफ्ट लाइनर, डुप्लेक्स बोर्ड,	15.00
टिप्पणीः सहायक कमिश्नर (क0नि0)–2, मुरादाबाद के स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्व में निर्मित तथा विविधीकरण के द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रकृति समान है।					
8.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–3, वाराणसी	28 अगस्त 1997 से 27 अगस्त 2005	मिल बोर्ड	ग्रेबोर्ड क्राफ्टबोर्ड डुप्लेक्स बोर्ड अनकोटेड क्राफ्ट पेपर तथा मिल बोर्ड	1.14
			योगः		149.51

मामला, विभाग तथा शासन को फरवरी 2003 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2003)।

2.2.3. 21 फरवरी 1997 को जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत सरकार ने एक योजना लागू किया जिसके अन्तर्गत 1 दिसम्बर 1994 से कुछ शर्तों के अधीन उन नयी इकाइयों को कर में छूट की सुविधा प्रदान की गयी जो कि 50 करोड़ रूपये या अधिक स्थिर पूँजी निवेश करते हुए नई इकाई स्थापित करें अथवा विस्तारीकरण विविधीकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। साथ ही साथ यह सुविधा उन इकाइयों को नहीं दी गयी, जो इकाइयाँ धारा–4 के अन्तर्गत जारी किसी अन्य विज्ञप्ति के अन्तर्गत, छूट की सुविधा उन्हीं तत्समान आधार पर पहले से ही प्राप्त कर रही थी।

व्यापार–कर मण्डल गाज़ियाबाद में यह पाया गया कि एक इकाई जो कि आयरन तथा स्टील का निर्माण कर रही थी, उसे 27 जुलाई 1991 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत विस्तारीकरण आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण योजना के अन्तर्गत दिनांक 19जनवरी 1994 से 2 सितम्बर 2002 की अवधि हेतु 63.44 करोड़ रूपये कर मुक्ति/कर में छूट के लिए पात्रता प्रमाण–पत्र 23 दिसम्बर 1995 को जारी किया गया। इसी इकाई को विस्तारीकरण हेतु विज्ञप्ति दिनांक 21 फरवरी 1997 के अन्तर्गत पुनः पात्रता प्रमाण पत्र (22 अगस्त 2001) जारी किया गया जिसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1998 से 15 वर्षों के लिए रू. 394.14 करोड़ रूपये कर मुक्ति प्रदान की गयी जिसमें से इकाई द्वारा वर्ष 1998–99 से 2000–01 के बीच 33.68 करोड़ रूपये कर की छूट का लाभ प्राप्त किया गया। जैसा कि इकाई अधिनियम की धारा–4–क के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 27 जुलाई 1991 के विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व से ही छूट का लाभ प्राप्त कर रही थी, फिर भी पुनः विस्तारीकरण के लिए विज्ञप्ति दिनांक 21 फरवरी 1997 के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनियमित था। इसके फलस्वरूप 394.14 करोड़ रूपये के कर की गलत कर मुक्ति प्रदान की गई।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 2003 और अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (नवम्बर 2003)।

2.3 पर्याप्त जमानत के बिना व्यापारियों का पंजीयन

अधिनियम की धारा 8–ग (3) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व प्रत्येक व्यापारी से पर्याप्त जमानत प्राप्त कराने का प्रावधान है, जो कि व्यापारी के उस कर निर्धारण वर्ष के लिए अनुमानित देय कर से अधिक नहीं होगी। यदि कर निर्धारण अधिकारी के विचार में ली गयी जमानत पर्याप्त नहीं है तो वह पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करने के बाद भी अतिरिक्त जमानत की मांग कर सकता है जिसको पूर्णरूप में या उसके कुछ भाग को कर, अर्थदण्ड आदि की किसी धनराशि की वसूली के लिए जब्त किया जा सकता है तथा व्यापारी को निर्धारित समय के अन्दर जमानत राशि पूर्ण करने के लिए कहा जा सकता है। यदि दिये गये समय के अन्दर वांछित अतिरिक्त जमानत व्यापारी द्वारा नहीं दी जाती है तो कर निर्धारण अधिकारी पंजीयन प्रमाण–पत्र को निरस्त कर सकता है।

11 मण्डलों/खण्डों♦ के पंजीयन तथा कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि

♦ बाँदा, बरेली, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, उरई, सोनभद्र, वाराणसी।

56 व्यापारियों के मामलों में कर एवं अर्थदण्ड आदि की वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक 87.20 करोड़ रूपये की धनराशि वसूल नहीं हुई। विभाग द्वारा 47 मामलों में पंजीयन के समय व्यापारियों से कुल 12.30 लाख रूपये जमानत प्राप्त की गयी। यद्यपि कि अनुवर्ती वर्षों में देय कर दायित्व की तुलना में इन व्यापारियों द्वारा जमा प्रतिभूति अपर्याप्त थी, राजस्व हित में, जब्त प्रतिभूति, की भरपाई हेतु देय करके बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति व्यापारियों से जमा कराने में विभाग असफल रहा। इसी दौरान, जो व्यापारी 87.20 करोड़ रूपये कर के दायी थे वे या तो अपना व्यवसाय बंद कर दिये या उनका पंजीयन विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया। इस प्रकार शासन को 87.20 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

इस प्रकार के कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं :–

(करोड़ रुपये में)

क0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों का नाम	देय धनराशि	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	टिप्पणी
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0), सरधना मण्डल मेरठ	मेसर्स रायल एजेन्सी	8.22	1997–98 से 1999–2000 मई 2000 तथा जनवरी 02	मार्च 1999 से व्यापार बंद
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0), सोनभद्र	मेसर्स दी यू.पी.राज्य सीमेन्ट निगम, चुर्क	8.13	1997–98 से 1998–99 मार्च 2000 और मार्च 2002	मार्च 1997 से व्यापार बंद
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),4 गाज़ियाबाद	मेसर्स बैरन इन्टर नेशनल लि0	7.27	1997–98 से 2000–01 मार्च 2001 और अक्टूबर 2001	जनवरी 2002 से पंजीयन निरस्त
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),4 गाज़ियाबाद	मेसर्स बायोकेम इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0	5.43	1998–99 से 2001–02 जून 2000 तथा नवम्बर 2001	दिसम्बर 2001 से पंजीयन निरस्त
5	व्यापारकर अधिकारी खण्ड–8, मेरठ	मेसर्स गोल्ड स्टार सेल्स एजेन्सीज़	3.58	1997–98 से 1999–2000 मार्च 2000	अगस्त 1999 से व्यापार बंद
6.	व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–21, कानपुर	मेसर्स आइडोल कामर्स प्रा0 लि0	2.30	1997–98 से 1998–99 मार्च 1999 तथा अगस्त 2000	मार्च 1999 से व्यापार बंद
7.	व्यापारकर अधिकारी खण्ड–1, झाँसी,	मेसर्स माँ शारदा इन्टर प्राइजेज़	2.22	1997–98 से 1999–2000 नवम्बर 1998 तथा अक्टूबर 2002	अक्टूबर 1999 से व्यापार बंद
8.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0), गौमतबुद्ध नगर	मेसर्स सकुरा समत्सू	2.17	1997–98 से 1998–99 दिसम्बर 1998 तथा मई 2001	मार्च 1998 से व्यापार बंद
9.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–7 नोयडा	मेसर्स जे आर.कंजूमर्स इलेक्ट्रानिक प्रा. लि.	1.98	1997–98 से 1998–99 फरवरी 1999 तथा मार्च 2001	अप्रैल 2001 से व्यापार बंद

मामला, विभाग तथा शासन को फरवरी तथा जून 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (नवम्बर 2003)।

2.4 व्यापारियों का पंजीयन न किया जाना

यदि व्यापारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं को पंजीकृत कराने में विफल रहता है तो वह प्रथम तीन माह में ब्यतिक्रम के लिए प्रत्येक माह या उसके भाग के निमित्त 100 रूपये तथा वर्ष के शेष माह के लिए 500/–रूपये प्रति माह, अर्थदण्ड का दायी होगा। कमिश्नर व्यापार कर ने

अपने परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 1997 के द्वारा सभी कर निर्धारण अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किये थे कि वे आबकारी विभाग से संबंधित देशी मदिरा व विदेशी मदिरा के फुटकर तथा थोक के विषय में व्यापार–कर से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करें तथा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही जो उचित प्रतीत हो करें।

2.4.1 नौ जिला आबकारी अधिकारियों के वर्ष 2001–02 से संबंधित व्यापार–कर खण्डों के अभिलेखों के प्रति सत्यापन से ज्ञात हुआ कि 565Ψ व्यापारी जो भाँग, विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त थे व्यापार–कर विभाग में पंजीकृत नहीं थे। व्यापार–कर विभाग व राज्य आबकारी विभाग में समन्वय न होने के कारण कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा नये व्यापारियों के संबंध में आबकारी विभाग से सूचना प्राप्त नहीं की गयी और न ही आबकारी विभाग द्वारा भी उक्त की सूचना व्यापार–कर विभाग को प्राप्त कराई गयी। चूँकि व्यापारियों ने वर्ष 2001–02 के दौरान बिना पंजीयन के व्यापार किया अतः वे 27.12 लाख रूपये के अर्थदण्ड के दायी थे।

2.4.2 व्यापार कर अधिकारी खण्ड 1 व 2, उरई (जालौन) व जिला खनन अधिकारी उरई के अभिलेखों के प्रति सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि जिला खनन अधिकारी द्वारा वर्ष 1999–2000 व 2001–02 के दौरान 19.02 करोड़ रूपये मूल्य के 67 बालू की खानों से 27.17 लाख घन मीटर बालू निकालने हेतु पट्टे जारी किये गये। चूँकि व्यापार–कर अधिकारी खनन विभाग से नये व्यापारियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने में असफल रहे जिससे ये व्यापारी अपंजीकृत रह गये। इस प्रकार विभाग को व्यापार–कर के मद में 1.43 करोड़ रूपये के राजस्व के अतिरिक्त 3.22 लाख रूपये अर्थदण्ड से वंचित होना पड़ा।

मामला, विभाग तथा शासन को फरवरी तथा जून 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (नवम्बर 2003)।

2.5 अपात्र इकाइयों को गलत कर मुक्ति प्रदान करना

2.5.1 न्यायिक* रूप से यह निर्णीत किया गया एक कि इकाई जो कर मुक्त माल का उत्पादन करती है वह उनके बाई प्रोड्क्ट्स तथा वेस्ट प्रोड्क्ट्स पर कर मुक्ति की पात्र नहीं है।

2.5.2 व्यापार–कर मण्डल देवरिया में यह पाया गया कि एक इकाई जो कर मुक्त चीनी का निर्माण कर रही थी, को शीरे, वैगास तथा प्रेस मड जो चीनी के बाइ प्रोडक्ट थे, की बिक्री पर 44.71 करोड़ रूपये कर की छूट हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र 26 जून 2000 तथा 2 नवम्बर 02 को प्रदान किया गया। इसके फलस्वरूप 44.71 करोड़ रूपये की गलत कर मुक्ति प्रदान की गयी।

2.5.2 शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 27 जुलाई 1991 के परिशिष्ठ– ।।, तथा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 22 जुलाई 1999 के अनुसार बाजार से तेल खरीद कर तेल शोधित

Ψ बाँदा (14), गाज़ियाबाद (109), झाँसी (46), मेरठ (94), मुरादाबाद (44), कानपुर (88), कानपुर देहात (25), उरई (45) और वाराणसी (100)

* किसान सरकारी चीनी मिल्स लि0 नैनीताल बनाम उ0 प्र0 सरकार (एस0टी0आई0 1989 पेज 294 इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

करने वाली इकाई कर मुक्ति की सुविधा की पात्र नहीं थी। इसी प्रकार विज्ञप्ति दिनांक 14 जून 1996 के अन्तर्गत कोयला जिसके अन्तर्गत अपने सभी रूपों में कोक भी है तथा चारकोल के भी उत्पादन में लगी हुई इकाइयाँ, ऐसी कर मुक्ति के लिए अपात्र घोषित कर दी गयी।

दो व्यापार कर मण्डलों (वाराणसी एवं गोरखपुर) में पाया गया कि दो नयी इकाइयाँ जो हार्ड कोक तथा परिष्कृत खाद्य तेल उत्पादन कर रही थीं, को पात्रता प्रमाण–पत्र 28 अप्रैल 1999 तथा 15 मई 1997 को जारी किया गया उन्हें क्रमशः 1.28 करोड़ रूपये तथा 1.46 करोड़ रूपये की कर मुक्ति स्वीकृत की गयी। इसके फलस्वरूप अपात्र ईकाइयों को 2.74 करोड़ रूपये की गलत कर मुक्ति प्रदान की गयी।

मामला, विभाग तथा शासन को फरवरी 2003 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

2.6 अनियमित विज्ञप्ति के कारण कर में छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, की धारा 8(5) राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 8(1) अथवा 8 (2) से आच्छादित वस्तुओं के अन्तर प्रान्तीय बिक्री पर कर की दर में कमी अथवा कर से छूट के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी करने हेतु प्राधिकृत करती है। प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत कर प्रदत्त गेहूँ से निर्मित आटा, मैदा, सूजी की अन्तर प्रान्तीय बिक्री पर अधिनियम की धारा 8(2ए) के अन्तर्गत 2.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। अतएव राज्य सरकार इसकी बिक्री पर धारा 8(5) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है।

सात व्यापार–कर मण्डलों[▽] में यह पाया गया कि वर्ष 1994–95 से 2000–01 की अवधि के लिए कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सितम्बर 1997 तथा अक्टूबर 2002 के बीच कर निर्धारण आदेश पारित करते समय 400.79 करोड़ रूपये की अन्तर प्रान्तीय आटा, मैदा, सूजी की बिक्री पर गलत कर मुक्ति प्रदान की गयी, जिस पर इन वर्षों में कर देयता 2 से 2.5 प्रतिशत के बीच थी। अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 1993 के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर से छूट स्वीकृत की गयी, जो शासन को प्रदत्त अधिकार से बाहर थी। इसके परिणाम स्वरूप 10.02 करोड़ रूपये कर की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

मामला, विभाग तथा शासन को फरवरी और जून 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

2.7 छूट की अनियमित स्वीकृति

2.7.1 शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 1995 द्वारा ऐसी इकाइयों को जो फैक्ट्री अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य

[▽] आगरा, देवरिया, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद तथा वाराणसी

पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हों, को रोजगार उपलब्ध करायें, उसे व्यापार–कर में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है। जिलाधिकारी द्वारा इस आशय से कि नियुक्त व्यक्ति ऐसे वर्ग से संबंधित हैं तथा सहायक श्रमायुक्त द्वारा इस आशय से कि ऐसी इकाइयों ने अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों को आपेक्षित अनुपात में रोज़गार दिया गया है, प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, यह छूट उपलब्ध है।

व्यापार–कर मण्डल कानपुर और आगरा में यह देखा गया कि दो इकाइयों को वर्ष 1997–98 तथा 1999–2000 के दौरान 62.39 लाख रूपये की छूट कर निर्धारण अधिकारियों की इस आख्या के आधार पर प्रदान की गयी कि इकाइयों द्वारा उक्त समुदाय के लोगों को अपेक्षित अनुपात में रोज़गार प्रदान किया गया है किन्तु कर निर्धारण आदेश पारित करते समय न तो अपेक्षित प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया और न ही इकाइयों से मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप 62.39 लाख रूपये की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

2.7.2 अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पादित वस्तुओं की प्रांत के अन्दर तथा अन्तर्प्रान्तीय व्यापार तथा वाणिज्य पर कर की दर में कमी अथवा छूट, अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित घोषणापत्रों के प्रस्तुत करने पर अनुमन्य है। इस संबंध में कमिश्नर व्यापार–कर के परिपत्र दिनांक 15 फरवरी 2001 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि छूट लेने वाली इकाइयों को कर से छूट सामान्य कर की दर पर कम की जाएगी।

तीन व्यापार–कर मण्डलों (कानपुर, मेरठ, एवं नोयडा) में यह देखा गया कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 7 नई इकाईयों के वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 (जनवरी 2001 तथा जुलाई 2002 के बीच) के कर निर्धारण के समय 49.77 करोड़ रूपये के बिक्रय धन पर सम्बन्धित वस्तु सामान्य दर के स्थान पर रियायती दर पर कर से छूट दिया तथा इसे छूट की सीमा के विरुद्ध समायोजित किया। त्रुटिपूर्ण गणना/समायोजन के फलस्वरूप व्यापारियों को 4.23 करोड रूपये की अधिक छूट का लाभ प्राप्त हुआ।

2.7.3 यह देखा गया कि गाज़ियाबाद के एक व्यापारी को उपलब्ध छूट/या कर की दर में कमी का अवशेष 31 मार्च 2000 को 1.04 करोड़ रूपयें था। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2000–01 के कर निर्धारण के समय 1.68 करोड़ रूपये कर आगणित किया गया, जिसका समायोजन अवशेष अनुतोष राशि 1.04 करोड़ रूपये में किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 0.64 करोड़ रूपये की मांग निकालने के बजाय 0.64 करोड़ रूपये का अवशेष, अनुतोष राशि के रूप में दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिक छूट दी गई तथा इस प्रकार 0.64 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

2.7.4 केन्द्रीय बिक्री का अधिनियम, 1956 की धारा 6–क के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के किसी अन्य स्थान अथवा अपने एजेन्ट को अथवा प्रिन्सिपल को माल का स्टाक स्थानांतरण जो घोषणा प्रपत्र एफ से आच्छादित हो, करता है तो वह कर के भुगतान से मुक्त होगा

अन्यथा इसे अन्तर्प्रान्तीय बिक्री मानी जायेगी। यह न्यायिक रूप से निर्णीत♠ है कि यदि स्टाक का स्थानान्तरण सीधे कम्पनी से क्रेता को किया जाता है तथा बीजक मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है तो यह अन्तर्प्रान्तीय बिक्री मानी जायेगी।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), व्यापार–कर सरधना की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1998–99 में 1.12 करोड़ रूपये मूल्य की "भारत निर्मित विदेशी मदिरा" का स्टाक स्थानान्तरण प्रान्त बाहर दूसरे व्यापारी की शाखा को किया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टाक स्थानान्तरण मानकर व्यापारी को कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया। कर मुक्ति प्रदान करना अनियमित था क्योंकि माल का प्रेषण स्वयं की शाखा को सीधे नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 36.28 लाख रूपये कर का अनारोपण हुआ।

मामला, विभाग तथा शासन को फरवरी 2002 तथा अक्टूबर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)!

2.7.5 केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य को परिचलन के दौरान हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा की गयी माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री या खरीद कर मुक्त है। यह न्यायिक रूप से निर्णीत♥ है कि उपरोक्त छूट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र 'सी' के साथ प्रपत्र ई–1 आवश्यक है।

असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–8 व्यापार–कर कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1998–99 के दौरान पालिस्टर स्टेपिल फाइबर की 96.37 करोड़ रूपये की खरीद बाराबंकी से किया तथा इसे बाराबंकी से कानपुर के परिचलन के दौरान माल के हक दस्तावेज़ो के अन्तरण द्वारा अन्तर्प्रान्तीय बिक्री मान लिया जो घोषणा प्रपत्र ई– –एवं 'सी' के बजाय केवल प्रपत्र ई–1 से आच्छादित था। चूँकि यह परिचलन केवल राज्य अन्दर ही था, अतः कर के भुगतान से दी गयी छूट अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप 2.41 करोड़ रूपये कम कर आरोपित हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2002 में 2.41 करोड़ रूपये के कर की मांग सृजित कर दिया। अग्रेतर, उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2003)।

मामला, शासन को अक्टूबर 2001 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2003)!

2.7.6 अधिनियम की धारा 12–क सपठित तदन्तर्गत बने नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी मामले को कर से छूट की परिस्थितियों के अस्तित्व में लाने वाले तथ्यों को साबित करने का भार व्यापारी♣ पर होगा। समुचित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल होने की दशा में कर निर्धारण

♠कमिश्नर ऑफ कामर्शियल टैक्सेज़ बनाम गुड विल प्वाइंट इण्डस्ट्रीज अलवर, (राजस्थान) (एस0टी0आर0पी0 नं0 39/94 आर0टी0टी0नं0 231/96) एस.टी. आई. जून 1999 भाग 12 पृष्ट–17 राजस्थान उच्च न्यायालय, निर्णीत दिनांक 3–12–1998)

♥मेसर्स स्वास्तिक सेल्स कारपोरेशन आगरा बनाम आयुक्त व्यापार–कर उत्तर प्रदेश लखनऊ (एस0 टी0 आई0 1996 इलाहाबाद उच्चन्यायालय 281 एस0टी0आर0–201 और 202, 1993 निर्णीत दिनांक 16 जनवरी 1996) ।

♣भारत इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन बनाम सी.एस.टी. (एस.टी. आई. 2000 इलाहाबाद उच्चन्यायालय–175)

अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा एवं तद्नुसार कर आरोपित करेगा।

- व्यापार–कर मण्डल गाज़ियाबाद में यह देखा गया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1999–2000 के दौरान 8.61 करोड़ रूपये की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री अपने लेखा में घोषित किया और 1.75 करोड़ रूपये की ग्राहकों को दी गई छूट का दावा किया जो किसी अभिलेखों से समर्थित नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय इसे स्वीकार कर लिया गया जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप 56.78 लाख रूपये कम कर आरोपित हुआ।

- व्यापार–कर मण्डल नोयडा में यह देखा गया कि मुद्रित रंगीन कार्टन के निर्माण से संबंधित एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान 15.29 करोड़ रूपये की बिक्री घोषित की गई तथा 2.54 करोड़ रूपये मैगजीन की बिक्री पर छूट का दावा किया। चूँकि व्यापारी न तो मैगजीन का निर्माता था और न ही कोई ऐसा प्रमाण था, जिससे कच्चे माल की खरीद व मुद्रण पर खर्च आदि दिया गया हो अतः प्रदत्त यह छूट अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप 24.02 लाख रूपये कम कर आरोपित हुआ।

मामला, विभाग एवं शासन को फरवरी 2003 तथा अक्टूबर 2003 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

2.8 केन्द्रीय बिक्री कर का अनारोपण/ कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र 'सी' अथवा 'डी' से आच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर अथवा ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य के अन्दर लागू दर जो भी अधिक हो, की दर से कर आरोपणीय है। ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिनकी कर की दर 4 प्रतिशत से कम है, उनकी कर देयता, शून्य या न्यूनतम दर जैसा भी हो निर्धारित होगी।

सात व्यापार–कर मण्डलों के 13 मामलों में यह देखा गया कि वर्ष 1995–96 से 2000–01 के बीच प्रपत्र 'सी' से अनाच्छादित वस्तुओं की 433.18 करोड़ रूपये की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर गलत दर से कर निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 14.68 करोड़ रूपये कर कम आरोपित हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मण्डल का नाम	कर नि0 वर्ष कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर प्रतिशत में	अरोपित कर की दर प्रतिशत में	कम आरोपित कर
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),4 व्यापार कर नोयडा	1998–99 (मार्च 2001)	मैन्गोफ्रूटी	20.00	15	10	1.00
		1999–2000 (फरवरी 2002)	टी0 वी0 पार्ट्स	2.67	2.5	2	0.01

क्र. सं.	मण्डल का नाम	कर नि0 वर्ष कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर प्रतिशत में	अरोपित कर की दर प्रतिशत में	कम आरोपित कर
		1997–98 (दिसम्बर–2000) तथा 1999–2000 (फरवरी 2001)	फोटो कापियर	47.27	10	2	3.78
			मशीन डिब्बा बन्द	7.79	10	शून्य	0.78
		1998–99 (फरवरी–2001)	भोजन सामग्री (पोटैटो चिप्स)	19.77	10	4	1.19
				56.67	10	2.5	4.25
		1997–98 (मई–1999) 1998–99 (मार्च–2001) 1999–2000 (मार्च–2002) 1995–96 से 1999–2000 (मार्च–1999, जनवरी मार्च 2001 तथा फरवरी 2002)	मोनो फिलामेन्ट यान	1.71	10	4	0.10
		1999–2000 (फरवरी 2002)	टी0वी0 पार्ट्स	6.97	2.5	2	0.03
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),1 व्यापार–कर गाज़ियाबाद	1997–98 से 1999–2000 फरवरी तथा दिसम्बर 2001	इलेक्ट्रानिक पार्ट्स तथा पिक्चर टयूब	238.45	2.5	2	1.19
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),9 नोयडा	1998–99 (मार्च 2001) 1999–2000 (जनवरी 2002)	इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट	2.39	2.5	2	0.01
		1998–99 (फरवरी 01)	लेदर गारमेन्ट	3.75	10	4	0.23
		1999–2000 (जनवरी 2002)		3.00	10	5	0.15
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),2 व्यापार–कर गाज़ियाबाद	1997–98 से 1999–2000 (दिसम्बर 1999 जनवरी तथा दिसम्बर–2001)	बोरोलीन कासमेटिक्स	0.77	15	10	0.04
5.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0),2 व्यापार–कर नोयडा	1999–2000 (मार्च 2002)	इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट	2.58	2.5	2	0.01

क्र. सं.	मण्डल का नाम	कर नि0 वर्ष कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर प्रतिशत में	अरोपित कर की दर प्रतिशत में	कम आरोपित कर
6.	व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–4, नोयडा	1999–2000 (जनवरी 2002) तथा 2000–2001 (फरवरी 2003)	अभ्यास पुस्तिका	18.68	10	शून्य	1.87
7.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),5 व्यापार कर नोयडा	1999–2000 (फरवरी 2002)	फुट वियर	0.71	10	4	0.04
			योगः–	433.18			14.68

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 2003 तथा अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2003)।

2.9 माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण

अधिनियम के अन्तर्गत, शासन द्वारा समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों के अनुसार वस्तुओं पर उनके वर्गीकरण के आधार पर जैसा कि दरों की अनुसूची में वर्णित है अलग–अलग दर से कर आरोपणीय है। जो वस्तुऐं कहीं भी वर्गीकृत नहीं हैं 1 अगस्त 1990 से 10 प्रतिशत की दर से करदेय हैं।

10 व्यापार–कर मण्डलों[△] की जाँच में यह देखा गया कि व्यापारियों द्वारा कर बचाने हेतु अपने रिटर्न में कर की सही दर न दिखाये जाने के कारण गलत दर से कर जमा किया गया। कर निर्धारण अधिकरियों द्वारा कर निर्धारण के समय इस बिन्दु को उद्घाटित करने में असफल रहे। इसके फलस्वरूप 6.24 करोड़ रूपये कर कम आरोपित हुआ।

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपरणीय कर की दर प्रतिशत में	आरोपित कर की दर प्रतिशत में	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0),18 व्यापार–कर कानपुर	1997–98 से 1999–2000 (मार्च / जुलाई, 2001)	कास्मेटिक गुड्स को दवा मानना	25.32	15	7.5 / 8	1.88
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), 8 व्यापार कर गाज़ियाबाद	1997–98 से 1999–2000 (फरवरी तथा जुलाई 2000 और मार्च 2002)	लाल दन्त मंजन को दवा मानना	52.72	10	7.5 / 8	1.31

[△]इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारण माह	गलत वर्गीकरण की प्रकृति	कर योग्य टर्नओवर	आरोपरणीय कर की दर प्रतिशत में	आरोपित कर की दर प्रतिशत में	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0),2 व्यापार–कर गाज़ियाबाद	1996–97 से 1999–2000 (सितम्बर 1998 से दिसम्बर 01)	बोरोलीन (कास्मेटिक्स को) दवा मानना	13.01	15	10 / 75 / 8	0.97
4.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0),4, व्यापार–कर नोयडा	1995–96 से 1999–2000 (फरवरी 1998 से फरवरी 2002)	मोनो फिलामेन्ट यार्न को सभी प्रकार का यार्न मानना	7.34	10	2.5 / 4	0.55
5.	सहायक कमिश्नर (क0नि0),4, व्यापार–कर नोयडा	1997–98 (मई, 1999) 1998–99 (मार्च, 2001) 1999–2000 (मार्च, 2002)	सील बंद फूड स्टफ (पोटैटो चीप्स) को स्वीट मीट नमकीन मानना	17.91	7.5	5	0.45
6.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) 9, व्यापार–कर नोयडा	1998–99 (फरवरी 01) 1999–2000 (जनवरी–2002)	लेदर गारमेन्ट्स को रेडीमेड गारमेंन्ट मानना	5.25	10	5	0.26

दृष्टांत के रूप में कुछ मामले नीचे दिये गये हैं :–

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने जनवरी 1999 से मार्च 2002 के मध्य बताया कि चार मामलों में 4.73 लाख रूपये की मांग सृजित कर दी गयी है। अग्रेतर, उत्तर आपेक्षित था (नवम्बर 2003)।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1999 से मार्च 2002 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2003)।

2.10 करापवंचन

2.10.1 अधिनियम में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यापारी अपने द्वारा खरीद एवं विक्रय किये गये माल के मूल्य को दर्शित करते हुये सच्चा एवं सही लेखा रखेगा। विक्रयधन का व्यौरा छिपाने अथवा जान बूझकर कर से बचने के लिये त्रुटिपूर्ण व्यौरा प्रस्तुत करने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी कर के अतिरिक्त, बचाये गये कर के कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है । कमिश्नर व्यापार–कर, उत्तर प्रदेश ने परिपत्र 23 जनवरी, 1986 एवं पुनः 12 नवम्बर 1990 द्वारा ऐसे करावचंन के मामले रोकने हेतु निर्देशित किया।

व्यापार कर मण्डल, कानपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि विक्रेता व्यापारी ने उसी स्थान के क्रेता व्यापारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया कि उसने 28.42 करोड़ रूपये का माल क्रेता को वर्ष 1998–99 एवं 1999–00 के मध्य विक्रय किया। तथ्यों की परस्पर जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वर्षों में विक्रेता व्यापारी ने प्रान्त अन्दर कुल बिक्री

केवल 26.13 करोड़ रूपये ही घोषित किया था। इस प्रकार 2.29 करोड़ रूपये का टर्नओवर विक्रेता व्यापारी द्वारा छिपाया गया। इसके फलस्वरूप 22.94 लाख रूपये कम कर आरोपित हुआ। इसके अतिरिक्त, व्यापारी 45.88 लाख रूपये के अर्थदण्ड के दायी थे।

2.10.2 यह न्यायिक$^{\Phi}$ रूप से निर्णीत है कि उत्पाद शुल्क की धनराशि विक्रय धन का भाग है। पुनः व्यापार–कर कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश देते हुए 11 जून 1992 को एक परिपत्र जारी किया कि करापवंचन को रोकने हेतु आयकर विभाग से बड़े कर दाताओं के बारे में संबंधित विवरण प्राप्त कर लिया जाय।

व्यापार कर मण्डल, कानपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पान मसाला व्यापारी का वर्ष 1997–98 के कर निर्धारण में 138.19 करोड़ रूपये बिक्री का टर्नओवर जुलाई 2002 में निर्धारित किया गया। आयकर विभाग के अभिलेखों के सत्यापन में पाया गया कि व्यापारी ने वर्ष 1997–98 में 2.06 करोड़ रूपये की लेखा पुस्तकों से बाहर बिक्री किया तथा इस पर उत्पाद शुल्क का भी भुगतान नही किया। इस प्रकार उत्पाद शुल्क को जोड़कर व्यापारी द्वारा 2.88 करोड़ रूपये के विक्रय धन का छिपाया जाना पाया गया तथा 28.85 लाख रूपये के कर दायित्व को बचाया गया। इसके अतिरिक्त व्यापारी 57.70 लाख रूपये के अर्थदण्ड के दायी थे।

मामला, विभाग तथा शासन को मार्च 1999 और अक्टूबर 2003 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

2.10.3 शासकीय विज्ञप्तियों दिनांक 31 जनवरी, 1985 एवं 27 फरवरी , 1997 के अनुसार अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग या उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थानों द्वारा, ग्रामोद्योग के लिए अनुसूची में प्रदर्शित उत्पादों की बिक्री एवं उत्पादों के निर्माण हेतु क्रय की गयी वस्तुओं पर कर मुक्ति प्रदान की गई है। कमिश्नर के परिपत्र (अक्टूबर 1986) के अनुसार ऐसी संस्थाएं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र के आधार पर कच्चा माल भी कर मुक्त क्रय कर सकती है।

व्यापार–कर मण्डल कानपुर में यह देखा गया की तीन व्यापारियों ने उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्थाओं ने स्वयं को व्यापार–कर विभाग में कृषि यंत्र, स्टील आलमारी आदि के निर्माण हेतु पंजीकृत कराया तथा लोहा एवं ईस्पात को कच्चा माल के रूप में 23.62 करोड़ रूपये मूल्य का वर्ष 1993–94, 1994–95 तथा 1996–97 से 1999–2000 के मध्य निर्धारित घोषणा प्रपत्र 31 के विरुद्ध कर मुक्त खरीदा। कच्चे माल का प्रयोग, जिसके लिए व्यापारी को कर मुक्ति प्रदान की गई थी निर्माण हेतु करने के बजाय उसी रूप में बिक्री कर दिया गया तथा व्यापारी गायब हो गया। व्यापारी के कर निर्धारण वाद का निस्तारण विभाग द्वारा मार्च, सितम्बर और नवम्बर 2002 में किया गया। इसके परिणामस्वरुप 94.84 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुई।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 2003 और अक्टूबर 2003 के मध्य; प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (नवम्बर 2003)।

$^{\Phi}$केरल राज्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री (1998–27 यस.टी.आर–सर्वोच्च न्यायालय)

2.11 गलत दर लगाये जाने के कारण कर का अवनिर्धारण

अधिनियम के अन्तर्गत, वस्तुओं पर उनके वर्गीकरण के आधार पर जैसा कि दरों की अनुसूची में वर्णित है निर्धारित दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त, 1990 से 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी प्रभार्य है ।

सात व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सात व्यापारियों के मामले में गलत दर लगाये जाने के कारण 24.01 लाख रूपये कम कर आरोपित किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष / कर निर्धारण महीना	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहा.क.(क.)–3 वाराणसी	1994–95, 1995–96 मार्च (1998)	दवायें	84.93	10	7.5	2.12
2	व्यापार कर अधिकारी मोदीनगर	1996–97,1997–98 (दिसम्बर–99)	रबर स्क्रैप (रबर कटिंग)	10.59	10	5	0.53
3	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–6 कानपुर	1998–99 (नवम्बर 2000)	हेसियन क्लाथ	11.49	10	5	0.57
4	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 कानपुर	1996–97 से 1998–99 (जुलाई 2000)	फ्लोट ग्लास	22.82	15	10	1.14
5	सहा.कमि. (क.नि.) मैनपुरी	1995–96,1996–97 (जून 1998)	चना,मूँग अरहर तथा मटर	11.24 86.73	4 5	3.5 4.375	0.06 0.54
6	डिप्टी कमि. (क.नि.)–12 गाज़ियाबाद	1999–2000 (दिसम्बर 2001)	ईमीटेशन ज्वेलरी	96.80	5	2.5	2.42
7	सहा.कमि. (क.नि.)19 कानपुर	1995–96 से 1999–2000 (फरवरी 2002)	सीमेंट	664.94	12.5	10	16.63
योग							24.01

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि 2 मामलों में नवम्बर 2000 से मार्च 2002 के मध्य 2.72 लाख रूपये कर की माँग सृजित कर दी गई थी। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर–2003)।

मामला, शासन को मार्च 1999 और अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर–2003) ।

2.12 मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

अधिनियम की धारा 4 ख के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त 1987 और 21 मई 1994 के अनुसार निर्माताओं को विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयुक्त करने हेतु कच्चे माल और पैकिंग सामग्री आदि की खरीद पर विशेष छूट का प्रावधान है । न्यायिक रूप से यह निर्णीत♣ है कि मसाला खड़े रूप में और मसाला पाउडर रूप में भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं क्योंकि कोई नई व्यापारिक वस्तु नहीं बनी है ।

व्यापार–कर मण्डल, कानपुर के व्यापारी के मामले में यह देखा गया कि विभाग ने पाउडर रूप में मसाला के निर्माण के लिये कच्चे माल की रियायती दर खरीद हेतु मान्यता प्रमाण–पत्र दिनांक 14 सितम्बर 1995 को स्वीकृत किया गया । चूँकि व्यापारी किसी निर्माण प्रक्रिया में नहीं लगा था, इसलिये वह वर्ष 1996–97 से 1999–2000 की अवधि में 4.31 करोड़ रूपये के रियायती दर से कच्चे माल की खरीद के लिये पात्र नहीं था । अनियमित मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 13.46 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुई ।

मामला, विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1991 तथा अक्टूबर–2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर–2003) ।

2.13 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

अधिनियम की धारा 3–ख में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलत या अशुद्ध घोषणा जारी करता है जिसके कारण खरीद अथवा बिक्री पर लगने वाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो व्यापारी उस राशि का देनदार हो जाता है जो उसने माल की खरीद पर कर में छूट के रूप में बचाया है ।

व्यापार–कर के पाँच कार्यालयों♥ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच व्यापारियों ने निर्धारित घोषणा–पत्र के विरुद्ध कर मुक्त अथवा कर के रियायती दर पर 1.04 करोड़ रूपये मूल्य का माल खरीदा । चूँकि मान्यता प्रमाण–पत्र के अनुसार व्यापारी माल खरीदने के लिये प्राधिकृत नहीं थे, इसलिये वे कर के रियायत के बराबर 6.01 लाख रूपये धनराशि के देनदार थे ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने तीन मामलों में मार्च 1999 से फरवरी 2000 के मध्य 3.99 लाख रूपये की माँग सृजित की । अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2003) ।

मामला, शासन को दिसम्बर 1997 तथा अक्टूबर–2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर–2003) ।

♣ कमिश्नर बिक्री–कर बनाम अलका गृह उद्योग (एस.टी.आई 1994 यू.पी. ट्रिब्यूनल–1991) ।

♥ असिस्टेन्ट कमि0 (क0नि0)–11 लखनऊ, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 लखनऊ, असि0 कमि0 क0 नि0 मैनपुरी, असि0 कमि0 क0नि0–12 लखनऊ, असि0 कमि0 क0नि0–7 गाज़ियाबाद,

2.14 अर्थदण्ड का न लगाया जाना

2.14.1 सरकारी अधिसूचना दिनाँक 21 मई 1994 के साथ पठित धारा 4–ख के अन्तर्गत माल के निर्माण में प्रयोग करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल के क्रय पर निर्माताओं को कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर विशेष छूट का प्रावधान है। यदि कच्चे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिये मान्यता प्रमाण–पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये किया गया हो, तो व्यापारी ऐसे मामले में न्यूनतम बचाये गये कर के बराबर की धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में देनदार होगा परन्तु यह अर्थदण्ड बचाये गये कर के तीन गुने से अधिक नहीं होगा।

छः व्यापार–कर कार्यालयों[•] की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि छः व्यापारियों ने 2.14 करोड़ रूपये मूल्य का कच्चा माल रियायती दर पर खरीदा और उसका प्रयोग ऐसे माल के निर्माण में किया, जिसके लिये वे मान्यता प्रमाण–पत्र के अनुसार प्राधिकृत नहीं थे। अतएव व्यापारी अधिकतम 56.88 लाख रूपये अर्थदण्ड के देनदार थे।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग में तीन मामलों में 27.14 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2003)।

मामला शासन को सितम्बर 2000 और अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2003)।

2.14.2 धारा 15–ए (1) (सी) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी इस तथ्य से सन्तुष्ट होता है कि व्यापारी ने टर्नओवर के विवरण छिपाये हैं अथवा जान बूझकर टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त बचाये गये कर की धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु उसके दुगुने से अनधिक, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा।

आठ व्यापार–कर कार्यालयों[×] की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नौ व्यापारियों ने 1997–98 से 1999–2000 की अवधि तक 53.83 करोड़ रूपये के टर्नओवर को छिपाया जिस पर विभाग ने 3.76 करोड़ रूपये कर आरोपित किया परन्तु 7.52 करोड़ रूपये अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने दिसम्बर 2001 से अगस्त 2002 के मध्य चार मामलों में 71.62 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया । अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2003)।

[•]व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 शामली व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–5 आगरा, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 चन्दौसी, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–3 वाराणसी, असि.कमि. (क.नि.)–19 कानपुर व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–8 कानपुर

[×]असि.कमि. (क.नि.) सम्भल, व्यापार–कर अधिकारी सम्भल, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 बस्ती, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 बरेली, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 बदायूँ, असि.कमि. (क.नि.)–4 नोएडा, असि.कमि. (क.नि.)–11 आगरा तथा असि.कमि. (क.नि.)–1 कानपुर,

मामला, शासन को सितम्बर 2000 और अक्टूबर 2003 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

2.14.3. केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम की धारा 10–क के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर प्रपत्र ''ग'' में घोषणा के आधार पर कर के रियायती दर से किसी वस्तु का क्रय करते समय गलत ढंग से यह दर्शाता है कि उक्त वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण–पत्र से आच्छादित है, तो व्यापारी, उस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की धनराशि के डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी है ।

18 व्यापार–कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 18 व्यापारियों का कर निर्धारण वर्ष 1994–95 से 1999–2000 के लिये मार्च 1998 और जनवरी 2002 के मध्य किया गया, जिसमें 5.73 करोड़ रूपये का माल प्रपत्र ''ग'' के विरूद्ध खरीदा गया जो उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था । अतः व्यापारी 1.12 करोड़ रूपये अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे, जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि आठ मामलों में 27.72 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया । अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2003)।

मामला, शासन को फरवरी 2000 और अक्टूबर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2003)।

▪ असि.कमि. (क.नि.)–सोनभद्र, असि.कमि. (क.नि.)–गोण्डा, असि.कमि. (क.नि.) मवाना, असि.कमि. (क.नि.)–हसनपुर, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 इलाहाबाद, व्यापार–कर अधिकारी खण्ड–2 नोएडा, असि.कमि. (क.नि.)–2 रामपुर, असि.कमि. (क.नि.)–12 लखनऊ, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 कानपुर, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3 वाराणसी, असि.कमि. (क.नि.)–बदायूँ, असि.कमि. (क.नि.)–4 नोएडा, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1 सहारनपुर, व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2 धामपुर, असि.कमि. (क.नि.)–फतेहगढ़, असि.कमि. (क.नि.)–मिर्जापुर, असि.कमि. (क.नि.)–1 गोरखपुर, असि.कमि. (क.नि.)–2 झाँसी।

अध्याय–3 राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–03 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 221.78 करोड़ रूपये की धनराशि के व्याज का अनारोपण, अनुज्ञापन शुल्क का न वसूल किया जाना, स्टाम्प शुल्क का न वसूल किया जाना, शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन, परिशोधित स्प्रिट के पुनर्आसवन से अभिकर की क्षति, न्यूनतम प्रत्याभूति की मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण, अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन एवं अन्य अनियमितताओं के 132 मामले पाये गये जो मोटेतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामले की संख्या	धनराशि
1.	ब्याज का अनारोपण	6	0.32
2.	अनुज्ञापन शुल्क का न वसूल किया जाना	33	5.70
3.	स्टाम्प शुल्क का न वसूल किया जाना	16	3.49
4.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	17	2.84
5.	परिशोधित स्प्रिट के पुनर्आसवन से अभिकर की क्षति	01	0.55
6.	न्यूनतम प्रत्याभूति की मात्रा का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	14	1.79
7.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	02	0.0068
8.	अन्य अनियमितताएं	41	5.90
9.	देशी मदिरा की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान न करने से आबकारी शुल्क की क्षति	01	0.41
10.	आसवनियों के कार्यकलाप पर समीक्षा	01	200.77
	योगः–	132	221.78

वर्ष 2002–03 के दौरान विभाग ने कम निर्धारण आदि के 3 मामलों में निहित 1.90 लाख रूपये वसूल किया।

कुछ निदर्शी मामले एवं आसवनियों के कार्यकलाप पर एक समीक्षा जिनमें 201.18 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं :

3.2 आसवनियों के कार्यकलाप पर समीक्षा

प्रमुख अंश

- अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण शासन को 112.93 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

 (प्रस्तर 3.2.5)

- मार्गस्थ छीजन में कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.) की कमी से शासन को 56.64 करोड़ रूपये की क्षति उठानी पड़ी।

 (प्रस्तर 3.2.6)

- आयातित राज्य के आबकारी अभिकरणों द्वारा समय से प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर 1.19 करोड़ रूपये का प्रशमन शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

 (प्रस्तर 3.2.8)

- होलोग्राम के छीजन पर 6.37 करोड़ रूपये के आबकारी अभिकर की वसूली नहीं की गई।

 (प्रस्तर 3.2.10)

- 1.30 करोड़ रूपये अनुज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं की गई।

 (प्रस्तर 3.2.11)

- देशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण आबकारी अभिकर के कम आरोपण के फलस्वरूप 0.55 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई।

 (प्रस्तर 3.2.12)

3.2.1 प्रस्तावना

संविधान की अनुसूची की राज्य सूची–VII की सूची– ।।, की प्रविष्टि सं.–51 जो राज्य सरकार को मानव उपभोग मदिरा पर आबकारी शुल्क आरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है, के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा राज्य आबकारी शुल्क आरोपित किया जाता है। मदिरा के उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण, उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा उ.प्र. राज्य आबकारी

अधिनियम, 1910 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः शीरे से किया जाता है जो कि चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में एक सह–उत्पाद के रूप में है। विभिन्न प्रकार की मदिरा, जो देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा जैसे व्हिस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिनके नाम से जानी जाती है, का भी निर्माण अल्कोहल से किया जाता है। आसवनियों के उत्पादन पर आबकारी शुल्क, आबकारी राजस्व के बड़े भाग के रूप में है।

आबकारी उत्पाद आसवनियों से या तो बन्ध पत्र के अधीन बिना आबकारी फीस के अथवा निर्धारित दर पर आबकारी शुल्क के अग्रिम भुगतान पर निर्गत किये जाते हैं, इसी प्रकार आयात शुल्क अनुज्ञापन शुल्क भी आबकारी राजस्व का भाग है।

3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

आबकारी आयुक्त जो कि आबकारी विभाग का प्रमुख होता है, को आसवनियों एवं यवासवनियों के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। आबकारी आयुक्त के कार्यों के निर्वाह में सहायता हेतु मुख्यालय पर 2 अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, 3 संयुक्त आबकारी आयुक्त, 10 उपआबकारी आयुक्त एवं 6 सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। आबकारी आयुक्त को वित्तीय मामलों में सहयोग हेतु एक वित्त नियंत्रक तथा मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त होते है। इन इकाइयों की कार्य प्रणाली पर सफल नियंत्रण हेतु एक आन्तरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान होता है। राज्य को 4 परिक्षेत्रों एवं 17 प्रभारों, जिनमें प्रत्येक प्रभार क्रमशः एक संयुक्त आबकारी आयुक्त तथा एक उप आबकारी आयुक्त के अन्तर्गत हैं, इन अधिकारियों की सहायता प्रत्येक जिले में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में 41 आसवनियां हैं।

3.2.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

41 में से 32 आसवनियों का वर्ष 1997–98 से 2001–02 की अवधि के अभिलेखों की विस्तृत जाँच अप्रैल 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि :

- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा निर्गत शासकीय निर्देशों के अनुसार अभिकर, फीस एवं शास्ति वसूल किये जाते थे।
- क्या एक वास्तविक एवं प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में थी।

3.2.4 राजस्व का रुझान

31 मार्च 2002 की समाप्ति के विगत 5 वर्षों के दौरान राजस्व का रुझान इस प्रकार था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (–)	अन्तर का प्रतिशत
1997–98	1,521.30	1,404.09	(–) 107.21	7.05
1998–99	1,697.42	1,631.34	(–) 66.08	3.89
1999–2000	2,260.00	2,128.67	(–)131.33	5.81
2000–01	2,500.00	2,238.53	(–)261.47	10.46
2001–02	2,300.23	1,963.89	(–)336.34	14.62

वर्ष 2000–01 के दौरान बजट अनुमान से तुलना पर वास्तविक प्राप्ति में 10.46 प्रतिशत की कमी देखी गयी जो वर्ष 2001–02 में बढ़कर 14.62 प्रतिशत हो गई।

3.2.5 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधित) नियमावली, 1978 में यह प्रावधान है कि शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जाँच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है। अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमानत के रूप में जमा धनराशि जब्त की जा सकती है इसके अतिरिक्त अन्य शास्ति भी लगाई जा सकती है।

25 आसवनियों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1997–98 से 2001–02 के दौरान 1306 शीरे के मिश्रित नमूने अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को भेजे गये थे। अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की आख्या के अनुसार 68.22 लाख कुन्तल किण्वीय शर्करा से 35.82 करोड़ अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट का उत्पादन होना चाहिए, जबकि स्प्रिट का वास्तविक उत्पादन 33.56 करोड़ अल्कोहलिक लीटर हुआ, इसके फलस्वरूप 99.87 करोड़ रूपये के आबकारी राजस्व की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, अल्कोहल के कम उत्पादन पर न तो आसवक के लाइसेंस रद्द किये गये और न ही प्रतिभूति का सम्पहरण किया गया।

3.2.6 कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.)के मार्गस्थ छीजन से राजस्व क्षति

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के अनुसार शीरे के कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.) पर कोई मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नहीं है, जबकि आबकारी आयुक्त के परिपत्र दिनांक 24 मई 1995

* बलरामपुर (1), बरेली (1), बिजनौर (1), बुलन्दशहर (1), फैज़ाबाद (1), गाज़ियाबाद (2,), गाज़ीपुर (1), गोण्डा (1), गोरखपुर (1), जे.पी. नगर (1), कुशी नगर (1), लखीमपुर खीरी (1), लखनऊ (1), मेरठ (2), मुरादाबाद (1), मुजफ्फर नगर (2), पीलीभीत (1), रामपुर (1), सहारनपुर (2), शाहजहाँपुर (1), एवं उन्नाव (1),

के अनुसार टी.आर.एस. में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा विद्यमान है तथा टी.आर.एस. के कुन्तल से 46.20 अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट उत्पादित हो सकती है।

26 आसवनियों♦ की नमूना जाँच में पाया गया कि 1997–98 से 2000–01 की अवधि के अन्तर्गत शीरे के परिवहन के दौरान 1 से 5 प्रतिशत टी.आर.एस. की मात्रा की हानि हुई, जैसा कि चीनी मिलों द्वारा जारी परिवहन पास में दर्शाये गये टी.आर.एस. की मात्रा से तुलना करने पर ज्ञात हुआ। इस प्रकार आसवक को 2.66 लाख कुन्तल टी.आर.एस. कम प्राप्त हुआ जिससे 122.75 लाख अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट उत्पादित हो सकता था। इस प्रकार शासन को 56.64 करोड़ रूपये के अभिकर से निम्नवत् वंचित होना पड़ा :

वर्ष	भेजी गई टी. आर.एस. की मात्रा	प्राप्त की गई टी.आर.एस. की मात्रा	मार्गस्थ में कम हुई टी. आर.एस. की मात्रा	मार्गस्थ छीजन में किण्वीय शर्करा की मात्रा	मानक के अनुसार उत्पादित अल्कोहल की मात्रा	आबकारी अभिकर (करोड़ रूपये में)
1997–98	3,04,732.55	2,83,758.25	20,974.30	18,457.38	9,69,012.66	3.87
1998–99	6,39,499.29	5,98,858.27	40,641.02	35,764.09	18,77,615.12	7.51
1999–2000	6,73,309.53	6,32,516.31	40,793.22	35,898.03	18,84,646.70	9.05
2000–01	9,95,269.77	9,39,587.77	55,682.00	48,998.40	25,72,416.00	12.35
2001–02	17,91,845.62	16,84,236.78	1,07,608.84	94,695.77	49,71,528.30	23.86
योग	**44,04,656.76**	**40,38,95738**	**2,65,699.38**	**2,33,813.67**	**1,22,75,218.78**	**56.64**

3.2.7 प्रशमन शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974, के प्रावधानों के अनुसार, चीनी मिलों से आसवनियों तक शीरे के परिवहन के प्रत्येक मामलों में एक प्रतिशत तक हानि अनुमन्य है। यदि मार्गस्थ छीजन एक प्रतिशत से अधिक होती है, तो आसवनी प्रत्येक मामलों में 5000 रूपये से अनधिक अर्थदण्ड की दायी होगी।

दो आसवनियों♥ की नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 1997–98 से 2001–02 की अवधि के दौरान चीनी मिलों से प्राप्त शीरे के 394 पारेषणों में मार्गस्थ छीजन एक प्रतिशत से अधिक थी। मार्गस्थ छीजन निर्धारित सीमा से अधिक था इसलिए प्रशमन शुल्क के रूप में 19.70 लाख रूपये वसूली योग्य था परन्तु विभाग इसको वसूल नहीं कर पाया। इसके परिणाम स्वरूप 19.70 लाख रूपये के राजस्व की क्षति हुई।

3.2.8 प्रशमन शुल्क/आबकारी अभिकर का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बाटलिंग नियमावली', 1969, के अनुसार, अनुज्ञापी द्वारा एक बन्धपत्र

♦ बलरामपुर (1), बरेली (1),बिजनौर (1), बुलन्दशहर (1), फैज़ाबाद (1), गाज़ियाबाद (3), गाज़ीपुर (1), गोण्डा (1), गोरखपुर (1), जे.पी. नगर (1), कुशी नगर (1), लखीमपुर खीरी (1), लखनऊ (1), मेरठ (2), मुरादाबाद (1), मुजफ्फरनगर (2), पीलीभीत (1), रामपुर (1), सहारनपुर (2), शाहजहाँपुर (1), एवं उन्नाव (1),

♥ फैज़ाबाद एवं पीलीभीत

निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें वह मदिरा को गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने एवं इस आशय का प्रमाणपत्र परिवहित राज्य के जिले के प्राधिकारियों से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेता है। यदि अनुज्ञापी उपरोक्त अवधि के भीतर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो वह निर्धारित दर पर आबकारी अभिकर देगा। अग्रेतर यदि पास 90 दिन के पश्चात प्राप्त होता है, तो प्रत्येक मामलों में 5000 रूपये से अनधिक प्रशमन शुल्क आरोपणीय होगा।

- 16 आसवनियों⊗ की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 1997–98 से 2001–02 के दौरान 2382 पासों (बन्धपत्र के अधीन) पर मदिरा राज्य के बाहर परिवहित की गई थी, जो निर्धारित 90 दिन की अवधि के बाद 550 दिन तक विलम्ब से प्राप्त हुई। विभाग ने बन्धपत्र को बिना प्रशमन शुल्क की वसूली किए, अवमुक्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1.19 करोड़ रूपये की क्षति हुयी।

- अग्रेतर दो आसवनियों♦, में यह पाया गया कि 1997–98 से 2000–01 के दौरान 6 मामलों में 80.241.2 ए.एल. स्प्रिट बन्धपत्र के अधीन राज्य के बाहर परिवहित की गई थी। अनुज्ञापी ने आज तक गन्तव्य स्थान पर स्प्रिट की प्राप्ति का प्रमाणपत्र नहीं दिया (नवम्बर 2003)। विभाग ने 36.06 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किया ।

3.2.9 अल्कोहल के मार्गस्थ छीजन पर आबकारी अभिकर का अनारोपण/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी नियम के प्रावधानों के अनुसार बन्धपत्र के अधीन लकड़ी के पीपों, धातु के पात्रों में परिवहित अथवा निर्यातित मदिरा पर 0.5 प्रतिशत छीजन अनुमन्य है। बन्द पाऊचों एवं बोतलों में परिवहित अथवा निर्यातित मदिरा पर मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नहीं है तथा ऐसे मार्गस्थ छीजन पर उत्तर प्रदेश में देय अधिकतम दर से आबकारी शुल्क आरोपणीय होता है।

- उन्नाव स्थित एक आसवनी की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1997 से मार्च 2001 के मध्य आसवनी से 60.82 लाख अल्कोहलिक लीटर देशी मदिरा पाउचों में निर्गत की गयी जिसमें से 60.11 लाख अल्कोहलिक लीटर देशी मदिरा बन्धित गोदाम में प्राप्त हुयी। देशी मदिरा की 0.71 लाख ए.एल. की कम प्राप्ति पर आबकारी अभिकर आरोपित करने में विभाग असफल रहा। फलस्वरूप 23.33 लाख रूपये आबकारी राजस्व की हानि हुयी।

- छः आसवनियों♠ के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि वर्ष 1997–98 से 2001–02 की अवधि के दौरान बन्द बोतलों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के परिवहन में 0.40 लाख अल्कोहलिक लीटर छीजन हुआ, जो कि अनुमन्य नहीं था, जिस पर 40.52 लाख रूपये

⊗ बलरामपुर (1), बुलन्दशहर (1),फैज़ाबाद (1), गाज़ियाबाद (2), लखनऊ (1), मेरठ (3), मुरादाबाद, (1), रामपुर (2), सहारनपुर (1), शाहजहाँपुर (1), उन्नाव (1),

♦ बलरामपुर एवं मेरठ

♠ लखनऊ (1), मुरादाबाद (1), मेरठ (1), मुजफ्फरनगर (1), रामपुर (1), सहारनपुर (1),

का आबकारी अभिकर वसूली योग्य था। विभाग ने केवल 12.04 लाख रूपये वसूल किये। फलस्वरूप 28.48 लाख रूपये की कम वसूली हुयी।

3.2.10 होलोग्राम के छीजन पर आबकारी अभिकर की कम वसूली

नई आबकारी नीति 2001 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार की पेय मदिरा की आसवनी द्वारा निकासी, सुरक्षा होलोग्राम लगाने के पश्चात की जायेगी। आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 24 मार्च 2001 के अनुसार होलोग्राम यह दर्शाता है कि मदिरा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित की गई है तथा उस पर आवश्यक आबकारी अभिकर जमा किया गया है। उसके सुरक्षित रख रखाव तथा उचित प्रयोग का उत्तरदायित्व आसवनी का है। होलोग्राम के खराब, क्षति या दुरुपयोग के मामले में यह अभिकर की हानि मानी जायेगी तथा इसकी भरपाई आसवनी द्वारा की जायेगी।

14 आसवनियों[∇] के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि विभिन्न प्रकार के 51.89 लाख होलोग्राम जिनकी आवश्यकता देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बोतलों तथा पाउचों पर लगाने के लिये थी, खराब पाई गई जिस पर 6.92 करोड़ रूपये का आबकारी अभिकर वसूली योग्य था परन्तु विभाग ने 6 आसवनियों से 4.71 लाख खराब होलोग्राम पर अभिकर का मात्र 54.80 लाख रूपया वसूल किया। फलस्वरूप 6.37 करोड़ रूपये का आबकारी अभिकर कम वसूला गया।

3.2.11. लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विकृत स्प्रिट उत्पादित करने वाली आसवनी से 0.15 रूपये प्रति बल्क लीटर (बी.एल.) की दर से लाइसेंस फीस देय है।

ज्योतिबा फूलेनगर स्थित एक आसवनी के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1999–2000 के दौरान आसवनी ने 8.65 करोड़ बल्क लीटर विकृत स्प्रिट का उत्पादन किया, जिस पर 1.30 करोड़ रूपये लाइसेंस फीस वसूल किया जाना था, जिसे विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया।

3.2.12 देशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण आबकारी अभिकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार स्प्रिट की निर्धारित तीव्रता वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसाकि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के

∇ बलरामपुर (1),बरेली (1), गाज़ियाबाद (1),गाज़ीपुर (1), गोण्डा (1), गोरखपुर (1), मेरठ (1), मुरादाबाद (1),मुजफ्फरनगर (2), पीलीभीत (1),रामपुर (1), सहारनपुर (1), शाहजहाँपुर (1),

बाद हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित होती है। इस इंगित की गई तीव्रता का उल्लेख मोहरबन्द बोतलों तथा पाउचों पर चिपकाये गये लेबिलों पर होना चाहिए। देशी मदिरा के 25 प्रतिशत आयतन/आयतन पर 36.00 रूपये प्रति बी.एल. तथा 36 प्रतिशत आयतन/आयतन पर 60.00 रूपये प्रति बी.एल. की शासकीय अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर से आबकारी अभिकर देय है।

चार आसवनियों$^{\nabla}$ के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2001–02 में 94.21 लाख अल्कोहलिक लीटर मसालेदार देशी मदिरा तथा 14.40 लाख अल्कोहलिक लीटर सादी देशी मदिरा पाउचिंग तथा बाटलिंग हेतु निर्मित तथा निर्गत की गयी थी। बोतलों तथा पाउचों पर लगाये गये लेबिलों पर मसालेदार देशी मदिरा की तीव्रता 36 प्रतिशत वी/वी तथा सादी देशी मदिरा की तीव्रता 25 प्रतिशत वी/वी अंकित थी और आबकारी शुल्क इसी के अनुसार आरोपित किया गया था। मदिरा में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्प्रिट की वास्तविक तीव्रता जैसा कि हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित की गई थी, मसालेदार देशी मदिरा के सम्बन्ध में 36.1 प्रतिशत वी/वी तथा सादी देशी मदिरा के सम्बन्ध में 25.1 प्रतिशत वी/वी थी। दोनों ही मामलों में निर्धारित तीव्रता से 0.1 प्रतिशत वी/वी अधिक थी। हाईड्रोमीटर द्वारा इंगित अल्कोहल की वास्तविक तीव्रता के आधार पर आबकारी शुल्क आरोपित न करने के कारण 55.45 लाख रूपये की हानि हुयी।

3.2.13 पुनर्आसवन के छीजन पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अनुसार शोधित आसव से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के उत्पादन के मामले में कोई भी छीजन अनुमन्य नहीं है।

16 आसवनियों$^{\Phi}$ के अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1997–98 से 2001–02 की अवधि में 24.21 करोड़ अल्कोहलिक लीटर शोधित आसव का पुनर्आसवन किया गया था, जिससे 23.75 करोड़ अल्कोहलिक लीटर ई.एन.ए. प्राप्त हुआ। शेष 0.46 करोड़ अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का छीजन हुआ, जो अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं था। फलस्वरूप 20.58 करोड़ रूपये आबकारी शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

3.2.14 ब्याज का कम वसूलना

29 मार्च, 1985 से संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज वसूली योग्य होता है।

तीन आसवनियों$^{\clubsuit}$ के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि 19.73 लाख रूपये का आबकारी राजस्व, आसवनियों ने 5 से 197 माहों के विलम्ब से जमा किया जिस पर व्याज की 22.76 लाख

$^{\nabla}$ लखनऊ (1),मेरठ (1), मुजफ्फ़रनगर(1), सहारनपुर (1),

$^{\Phi}$ बलरामपुर (1), बरेली (1), बुलन्दशहर (1), फैज़ाबाद (1), गाज़ियाबाद (1), गोण्डा (1), गोरखपुर (1), मेरठ (2), मुरादाबाद (1), मुजफ्फरनगर (2), रामपुर (1), शाहजहाँपुर (1), सहारनपुर (1), उन्नाव (1),

$^{\clubsuit}$ गाजियाबाद (1), मुरादाबाद (1), पीलीभीत (1),

रूपये धनराशि वसूली योग्य थी, जिसमें से विभाग ने मात्र 9.89 लाख रूपये वसूल किये। फलस्वरूप 13.27 लाख रूपये ब्याज की कम वसूली हुयी।

3.2.15 अन्य रोचक बिन्दु

(i) आबकारी ताले की ठीक ढंग से आपूर्ति न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत आसवनियों में मदिरा के दुरुपयोग या रिसाब को रोकने के लिए सभी स्प्रिट पाइपों तथा बर्तनों आदि के लिए आबकारी ताले की आपूर्ति, विभाग द्वारा की जाती है।

32 आसवनियों[⊗] की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 की अवधि में विभाग द्वारा आवश्यक संख्या में आबकारी ताले नहीं दिये गये जो निम्नवत हैं :

वर्ष	तालों की आवश्यकता	विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ताले	कमी
1997–98	331	239	92
1998–99	303	235	68
1999–2000	303	229	74
2000–01	297	227	70
2001–02	350	293	57

आबकारी ताले की कमी के कारण मदिरा के दुरुपयोग तथा रिसाव से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(ii) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण

आसवनियों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 18 अगस्त, 1990 के अनुसार आबकारी स्टाफ द्वारा आसवनियों के आवधिक निरीक्षण के लिए निर्धारित मानक बताये गये हैं :

⊗ बरेली (1), बलरामपुर (1), बिजनौर (1), बुलन्दशहर (2), फैजाबाद (1), गोरखपुर (1), गोण्डा (2), गाज़ीपुर (1), गाज़ियाबाद (4), जे.पी. नगर (1), कुशीनगर (1), लखनऊ (3), लखीमपुर खीरी (1), मेरठ (2), मुरादाबाद (1), मुजफ्फरनगर (2), पीलीभीत (1), रामपुर (2), सहारनपुर (2), शाहजहाँपुर (1), एवं उन्नाव (1),

क्र.सं.	पदनाम	निरीक्षण की अवधि
1.	प्रभारी	माह में एक बार आसवनी के सभी अनुभाग का निरीक्षण
2.	जिला आबकारी अधिकारी	आसवनी का त्रैमासिक विस्तृत निरीक्षण करें
3.	उप आबकारी आयुक्त	आसवनी का छमाही विस्तृत निरीक्षण करें।

29 आसवनियों♣ के नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 के दौरान आवश्यक निरीक्षण नहीं कराये गये थे, जो निम्नवत है :

अधिकारी की श्रेणी	निरीक्षण की निर्धारित संख्या	कराये गये निरीक्षण की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
प्रभारी	1560	753	807	51.73
जिला आबकारी अधिकारी	520	120	400	76.92
उप आबकारी आयुक्त	260	187	73	28.00
योग	**2340**	**1060**	**1280**	**54.70**

यह देखने में आया कि इन वर्षों के दौरान विभिन्न स्तर पर 28 प्रतिशत से 76.92 प्रतिशत तक निरीक्षण में कमी थी। यह प्रदर्शित करता है कि आसवनियों पर समुचित नियंत्रण रखने में विभाग असफल रहा।

(।।।) आन्तरिक लेखा परीक्षा

वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी के अधीन एक आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा कार्यान्वित है। एक वित्त एवं लेखापरीक्षा अधिकारी और दो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से एक शाखा गठित है, जो आसवनियों के वार्षिक लेखा परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी है।

29 आसवनियों♦ की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 की अवधि में 20 आसवनियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं सम्पादित कराई गई थी। शेष 9 आसवनियों के मामलों में इन वर्षों के दौरान निर्धारित 45 निरीक्षण में से 13 निरीक्षण आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा सम्पादित कराये गये। यह विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा के अपर्याप्त आच्छादन को दर्शाता था।

♣ बरेली (1), बलरामपुर (1), बिजनौर (1), बुलन्दशहर (1), फैजाबाद (1), गोरखपुर (1), गोण्डा (2), गाज़ीपुर (1), गाज़ियाबाद (4), जे.पी. नगर (1), कुशीनगर (1), लखनऊ (2), लखीमपुर खीरी (1), मेरठ (3), मुरादाबाद (1), मुजफ्फ़रनगर (2), पीलीभीत (1), रामपुर (1), सहारनपुर (2), शाहजहाँपुर (1),

♦ बलरामपुर (1), बरेली (1), बिजनौर (1), बुलन्दशहर (2), फैजाबाद (1), गाज़ियाबाद (4), गोण्डा (2), गाज़ीपुर (1), गोरखपुर (1), जे.पी. नगर (1), कुशीनगर (1), लखीमपुर खीरी (1), लखनऊ (3), मेरठ (2), मुरादाबाद (1), मुजफ्फ़रनगर (2), पीलीभीत (1), रामपुर (2), सहारनपुर (2), शाहजहाँपुर (1), एवं उन्नाव (1),

3.2.16 अतिकालिक फीस का संशोधन न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि, आबकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय से अतिरिक्त अथवा अवकाश के दिनों में रोका जाता है, तो आसवक निर्धारित दर से अतिकालिक फीस सरकार को अदा करेगा। ये दरें पिछले 1969 में संशोधित हुए थी।

यह पाया गया कि आबकारी कर्मचारियों का वेतन मान कई बार संशोधित हुआ परन्तु आज तक अतिकालिक फीस की दर में कोई संशोधन नहीं हुआ। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरांचल राज्य के मामले में, जो उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर नवम्बर 2000 में बना था, की अतिकालिक दर 1 अप्रैल 2001 से संशेधित कर दी गई थी।

3.2.17 अनुसंशाएँ

उपर्युक्त सम्प्रेक्षणों के आधार पर शासन स्तर पर यह कदम उठाना विचार्णीय है कि :

- अधिनियम/नियमों के अनुपालन सुनिश्चित किये जायं
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा का विस्तार किया जाय

मामला, विभाग एवं शासन को जुलाई' 2003 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर' 2003)।

3.3 देशी मदिरा की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र का उठान न करने से आबकारी शुल्क की क्षति।

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापी, पूर्ण माहवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र माह के दौरान उठाने के लिए उत्तरदायी है, यदि फुटकर अनुज्ञापी ऐसा करने में असफल रहता है, तो उस दशा में लाइसेंस अधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित करेगा तथा उस माह के लिए निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्र के न उठाये गये भाग पर आरोपणीय आबकारी शुल्क को प्रतिभूति की राशि से समायोजित करेगा तथा अनुज्ञापी को प्रतिभूति राशि में आयी कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूरा करने हेतु सूचना जारी करेगा। यदि निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति में कमी की राशि को पूरा करने में असफल रहता है, तो लाइसेंस निरस्त रहेगा तथा लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल कार्यवाही करेगा।

जिला आबकारी अधिकारी, फतेहपुर एवं सोनभद्र के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि

64 फुटकर अनुज्ञापियों ने अपने न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्र को नहीं उठाया जिस पर 61.70 लाख रूपये का आबकारी शुल्क आरोपणीय था। विभाग ने मात्र 20.62 लाख रूपये अनुज्ञापियों की प्रतिभूति राशि से समायोजित किया और लाइसेंस को निरस्त नहीं किया। सोनभद्र के मामलें में, यद्यपि लाइसेंस निरस्त किये गये थे जबकि अनुज्ञापियों की प्रतिभूति से आबकारी शुल्क के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, इस प्रकार नियमों का अनुपालन न करने से शासन को 41.08 लाख रूपये आबकारी शुल्क से वंचित होना पड़ा।

विभाग एवं शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि देयों की वसूली हेतु कार्यवाही हो रही थी (दिसम्बर 2003); अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है (जनवरी 2004)।

अध्याय–4 वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 2002–03 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 222 मामलों में 103.26 करोड़ रूपये की धनराशि के करों के अनारोपण या कम आरोपण, मार्गकर, मालकर का कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उदघाटित हुयीं, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1	यात्रीकर / अतिरिक्त कर का अनारोपण या कम आरोपण	96	4.20
2	मार्गकर का कम निर्धारण	17	0.18
3	मालकर	20	0.54
4	अन्य अनियमितताएँ	88	1.30
5	करों एवं फीस के निर्धारण एवं वसूली पर समीक्षा	01	97.04
	योग	**222**	**103.26**

वर्ष 2002–03 के दौरान विभाग ने 58 मामलों में निहित 4.71 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जो वर्ष 2002–03 में लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे ।

कुछ निदर्शी मामले तथा करों एवं फीस के निर्धारण और वसूली पर एक समीक्षा जिनमें 97.99 करोड़ रूपये निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं :

4.2 "करों एवं फीस के निर्धारण एवं वसूली" पर समीक्षा

- सार्वजनिक सेवायानों पर 7.64 करोड़ रूपये के अतिरिक्त कर को आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 4.2.8)

- अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान के लिए 65.61 करोड़ रूपये की शास्ति को वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.10)

प्रस्तावना

4.2.1 संयुक्त प्रान्त मोटरयान कराधान अधिनियम, 1935 उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम 1962, उ. प्र. मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964, उ. प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997, उ. प्र. मोटरयान नियमावली, 1998 एवं मोटरयान कराधान अधिनियम, 1988, राज्य में विभिन्न प्रकार के करों जैसे मालकर, अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं फीस आदि को आरोपित करने के लिए उपबन्धित है ।

संगठनात्मक ढाँचा

4.2.2 करों के आरोपण एवं संग्रह की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासित एवं अनुश्रवित होती है, जिनकी सहायता मुख्यालय में चार अतिरिक्त परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (डी.टी.सी.) 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (आर. टी. ओ.) एवं 70 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन) द्वारा की जाती है ।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

4.2.3 अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक परिवहन आयुक्त, 19 आर.टी.ओ. में से 17 एवं 70 ए. आर. टी.ओ. में से 7 के वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक के अभिलेखों की विस्तृत जांच इस आशय से की गई कि:

- अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन किया गया ,
- नियमों/प्रक्रियाओं से विचलन के कारण राजस्व की हानि किस सीमा तक हुई ।

राजस्व का रुझान

4.2.4 31 मार्च 2002 की समाप्ति के विगत 5 वर्षों के दौरान बजट अनुमान के मुकाबले राजस्व वसूली निम्नवत थी :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी(–)अधिक(+)	प्रतिशत
1997–98	449.13	388.96	(–)60.17	(–)13.40
1998–99	650.00	449.48	(–)(200.52)	(–)30.85
1999–2000	650.00	612.36	(–)37.64	(–)5.79
2000–01	728.85	628.89	(–)99.96	(–)13.71
2001–02	945.10	579.69	(–)365.41	(–)38.66

यह भी देखने में आया कि बजट अनुमान की तुलना में राजस्व की वास्तविक वसूली कम थी। वर्ष 1999–2000 में 5.79 प्रतिशत के अतिरिक्त इन वर्षों में कमी 13.40 प्रतिशत और 38.66 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार बजट अनुमान अवास्तविक पाये गये ।

बकाया की स्थिति

4.2.5 प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विगत 5 वर्षों में बकाये की स्थिति परिवहन आयुक्त के अभिलेखों के अनुसार निम्नवत थी :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उ.प्र.रा.स.प.नि.	अन्य निजी व्यक्ति	योग
1997–98	149.36	11.94	161.30
1998–99	186.10	10.88	196.98
1999–2000	218.88	10.98	229.86
2000–01	275.25	13.42	288.67
2001–02	375.50	15.00	390.50

यह भी देखने में आया कि 31 मार्च 2002 तक कुल बकाये 390.50 करोड़ रूपये में 375.50 करोड़ रूपये उ.प्र.रा.स.प.नि. से वसूली योग्य था, जो कुल बकाये का 96.16 प्रतिशत होता है।

निजी परिवहन यानों से 31 मार्च 2002 को कुल बकाया अवशेष 15.00 करोड़ रूपये में से 1.11 करोड़ रूपये विभिन्न न्यायालयों, शासन एवं विभाग स्तर पर स्थगित था ।

अतिरिक्त कर की कम वसूली

4.2.6 उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अनुसार जनवरी, 1999 से ड्राइवर को छोड़कर 6 व्यक्तियों की सीट क्षमता के तिपहिया वाहनों पर अतिरिक्त कर 450.00 रूपये प्रतितिमाही की दर से तथा चालक को छोड़कर सीट क्षमता 6 व्यक्तियों से अधिक पर अतिरिक्त कर 675.00 रूपये प्रति तिमाही की दर से प्रभारित किया जाता है ।

आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2001 में यह कहा कि में. स्कूटर इण्डिया लि. विक्रम तिपहिया 750 डी वाहन का उत्पादन करती है जिसकी इंजन से जुड़ी चेसिस में चालक को छोड़कर 6 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता है। इस बात की पुष्टि आर.एण्ड.डी. शाखा स्कूटर इण्डिया लि. ने भी किया है। केन्द्रीय उत्पाद विभाग ने इस पर उत्पादकों से उत्पाद शुल्क एवं शास्ति की मांग किया है।

20 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों♦ की नमूना जांच में पाया गया कि फरवरी, 1999 से मार्च 2002 की अवधि में विक्रम 750–डी. तिपहिया वाहनों (विभिन्न आर.टी.ओ./ए.आर.

♦ लखनऊ, मेरठ, कानपुर शहर, फैजाबाद, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, आजमगढ़, अलीगढ़, झाँसी, गोरखपुर, बुलन्दशहर, इटावा, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं मुरादाबाद

टी.ओ.में 19 से 7379 वाहनों के मध्य) जिनकी सीट क्षमता ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक है, पर अतिरिक्त कर 675.00 रूपये प्रतितिमाही प्रतियान की जगह 450.00 रूपये प्रति तिमाही प्रभारित किया गया था। फलस्वरूप 2.96 करोड़ रूपये अतिरिक्त कर की हानि हुयी ।

4.2.7 उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रम वाहन का ए तथा बी श्रेणी के मार्गों पर एक तिमाही में तय की गयी दूरी के आधार पर अतिरिक्त कर की गणना निर्धारित दर से की जाती है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर, मुरादाबाद, लखनऊ तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रामपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनवरी 1999 से मार्च 2002 की अवधि में 86 ठेका वाहनों से एक तिमाही में विभिन्न मार्गों के अन्तर्गत तय की गयी दूरी की गलत गणना के कारण 46.41 लाख रूपये अतिरिक्त कर कम वसूला गया।

सार्वजनिक सेवा यानों पर अतिरिक्त कर की हानि

4.2.8 9 नवम्बर, 1998 से प्रभावी उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत नगर निगम या महापालिका क्षेत्र की सीमा के अन्दर संचालित सिटी बसों पर उनकी सीट क्षमता के अनुसार 4200 एवं 6000 रूपये प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर वसूलनीय है महापालिका/नगर निगम क्षेत्र के बाहर संचालित बसों के मामले में ठेका वाहनों की तरह इन यानों से अतिरिक्त कर वसूली योग्य है ।

चार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों♠ की लेखा परीक्षा में पाया गया कि नवम्बर 1998 से मार्च 2002 के दौरान 437 सिटी बसे महापालिका सीमा के बाहर संचालित थीं, जब कि वाहन ठेका वाहनों की निर्धारित दर के बजाय महानगरीय बसों की निर्धारित दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान कर रहे थे तथा विभाग द्वारा इनकी वसूली के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किये गये। इसके फलस्वरूप 7.64 करोड़ रूपये की हानि हुयी ।

प्रशमन शुल्क की हानि

4.2.9 मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रावधान है कि कोई भी परिवहन यान किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट से आच्छादित हुए संचालित नहीं होगा। प्रशमन दल बिना परमिट के संचालित यानों की आवश्यक जांच और चालान करे तथा ऐसे यानों से 2500 रूपये प्रशमन शुल्क वसूल करे।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 31 दिसम्बर 2000 को 3312 प्रक्रम वाहन बिना परमिट के राज्य में संचालित थे। इन वाहनों से प्रशमन शुल्क की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये। इसके फलस्वरूप 82.80 लाख रूपये के प्रशमन शुल्क की हानि हुयी।

♠ फैजाबाद, मेरठ, आगरा एवं गोरखपुर

शास्ति का अनारोपण

4.2.10 उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई वाहन निर्धारित अवधि के अन्दर कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना संचालित पाया जाता है, तो देय कर या अतिरिक्त कर के साथ 25 प्रतिशत से अनधिक शास्ति की धनराशि का भी भुगतान करना होगा ।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक की अवधि से सम्बन्धित अतिरिक्त कर का 262.46 करोड़ रूपये विलम्ब से जमा किया गया। विभाग द्वारा, एक माह से बारह माह तक विलम्बित जमा पर 65.61 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपणीय थी, जिसे आरोपित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 65.61 करोड़ रूपये की हानि हुयी ।

4.2.11 उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अनुसार अस्थायी परमिट से आच्छादित राज्य के बाहर की अधिकारिता वाला कोई भी परिवहन यान राज्य में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना संचालित नहीं होगा। यदि ऐसा कोई यान, कर या अतिरिक्त कर के भुगतान किये बिना राज्य में संचालित पाया जाता है तो उस पर देय कर या अतिरिक्त कर के 10 गुना के बराबर शास्ति प्रभारित होगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुजफ्फरनगर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनवरी, 2002 से मार्च, 2002 तक प्रवर्तन शाखा ने उत्तरांचल राज्य के 75 वाहनों को बिना करों के भुगतान किये संचालित पाया इन यानों से कर एवं अतिरिक्त कर की 1.12 लाख रूपये धनराशि वसूली गयी तथा विभाग 11.20 लाख रूपये की शास्ति आरोपित करने में असफल रहा। इसके फलस्वरूप 11.20 लाख रूपये की हानि हुयी।

रजिस्ट्रेशन मार्क फीस की वसूली न किया जाना

4.2.12 मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 47 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक वाहन जो अन्य प्रान्त में पंजीकृत है, दूसरे प्रान्त में 12 माह से अधिक परिचालित हो, तो वाहन स्वामी को निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित राज्य के पंजीयन अधिकारी को 600.00 रूपये भारी वाहन, 400.00 रूपये मध्यम वाहन एवं 300.00 रूपये हल्के वाहनों (व्यावसायिक) के लिए निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ प्रार्थना–पत्र देकर नया पंजीयन चिन्ह प्राप्त करना है।

23 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[γ] की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अन्य प्रान्तों में पंजीकृत 2482 वाहन जो इस राज्य में 12 माह से अधिक अवधि से संचालित थे, इन वाहनों का राज्य में पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया परन्तु अन्य प्रान्तों से अदेय प्रमाण पत्र का सत्यापन वांछित होने के कारण इन वाहनों को राज्य में पंजीकृत नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 14.52 लाख रूपये के पंजीयन शुल्क की वसूली नहीं की गयी।

γ बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, फैज़ाबाद, आगरा, मेरठ, कानपुर शहर, आज़मगढ़, अलीगढ़, झाँसी, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मथुरा, इटावा, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, रामपुर, बिजनौर, फतेहपुर, बहराइच, बागपत एवं मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (ए.आर.एफ.)

4.2.13 उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों एवं उनके वारिशों को, जैसा भी हो, राहत देने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी, 'जो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' कहलायेगी।

अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त कर के 1/21 भाग के बराबर धनराशि आरोपित होगी तथा उ.प्र. सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि में जमा की जायेगी। जहां एक सेवायान को अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्ण या आंशिक रूप से छूट दी गयी हो, पर अतिरिक्त कर के 5 प्रतिशत की दर से अधिभार उक्त निधि के प्रयोजन हेतु जमा किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1998–99 से 2001–02 के दौरान 19.28 करोड़ रूपये उ.प्र. सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि में जमा होना था, परन्तु जमा नहीं किया गया ।

इसे इंगित किये जाने पर अप्रैल, 2002 में परिवहन आयुक्त ने बताया कि लेखा शीर्ष का आबंटन न होने के कारण अभी तक धनराशि जमा किया जाना शेष था।

अनुशंसाएँ

4.2.14 उपर्युक्त सम्प्रेक्षणों के परिपेक्ष्य में, शासन यह विचार करे कि :

- समय से कर की वसूली हेतु पर्याप्त कदम उठाए जायं।
- कर के सही दरों को सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही की जाय।
- बकायों की वसूली के विशेष प्रयास किये जायं।
- बिना परमिट/अतिरिक्त कर के भुगतान के संचालित वाहनों को प्रशमित करने हेतु प्रशमन शाखा का विस्तार किया जाय। इसके लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

विभाग एवं शासन द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये प्रस्तरों को स्वीकार किया गया तथा यह बताया गया कि कार्यवाही की जायेगी (दिसम्बर 2003)। अग्रेतर प्रगति वांछित रहेगी (जनवरी 2004)

4.3 अतिरिक्त कर (यात्रीकर) का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (अधिनियम), के अनुसार एक मैक्सी कैब जिसकी सीट क्षमता चालक को छोड़कर 6 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 12 व्यक्तियों से अनधिक है, पर दिनांक 21 नवम्बर, 1996 से 2350 रूपया प्रतिमाह, 9 नवम्बर, 1998 से 1500 रूपया प्रतिमाह,

10 मार्च, 2000 से 1650 रूपया प्रतिमाह एवं 6 अक्टूबर, 2001 से 10000 रूपया प्रति तिमाही की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है।

12 सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[>] की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अगस्त, 1998 से दिसम्बर, 2002 की अवधि में 142 मैक्सी कैब संचालित थे परन्तु अतिरिक्त कर का न तो निर्धारण किया गया और न ही वसूल किया गया। इसके फलस्वरूप 34.87 लाख रूपये की धनराशि के अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि 6 मैक्सी कैब का 2.64 लाख रूपये का वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया तथा 0.05 लाख रूपये वसूला गया। अन्य प्रकरणों में उत्तर अपेक्षित थे (नवम्बर 2003)

4.4 अतिरिक्त कर का कम निर्धारण

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रम वाहन द्वारा एक तिमाही में तय की गयी कुल दूरी के आधार पर अतिरिक्त कर आरोपणीय है।

चार सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[ए] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नवम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2002 की अवधि में 105 वाहन विभिन्न मार्गों पर संचालित थे। वाहनों द्वारा एक तिमाही में तय की गयी वास्तविक दूरी को बगैर ध्यान में रखे विभाग ने अतिरिक्त कर का निर्धारण कर दिया, जिसके फलस्वरूप 61.78 लाख रूपये के अतिरक्त कर का कम निर्धारण हुआ।

विभाग एवं शासन द्वारा सम्प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया तथा यह बताया गया कि कार्यवाही की जायेगी (दिसम्बर 2003)। अग्रेतर प्रगति अपेक्षित है (जनवरी 2004)।

> आगरा, बरेली, अम्बेदकरनगर, बलिया, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, जालौन, कन्नौज, महराजगंज, संतरविदास नगर एवं सिद्धार्थनगर

ए बदायूं, गोंडा, हमीरपुर एवं झाँसी

अध्याय–5 अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–03 के दौरान लेखा परीक्षा में संबंधित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 529 मामलों में 21.94 करोड़ रूपये कम वसूली या राजस्व हानि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस		
1	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	116	1.91
2	गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	43	0.55
3	स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना	5	2.98
4	अन्य अनियमिततायें	63	3.53
	योग	**227**	**8.97**
	भू–राजस्व		
1	संग्रह प्रभारों का न/कम लगाया जाना	94	3.13
2	किसानबही की आपूर्ति के लिए फीस का न वसूला जाना	28	0.34
3	भू–राजस्व का न/कम लगाया जाना	100	10.99
4	अन्य अनियमिततायें	28	0.91
	योग	**250**	**15.37**
	विद्युत शुल्क		
1	विद्युत शुल्क का अनारोपण	8	0.19
2	निरीक्षण फीस का अनारोपण	12	1.58
3	अन्य अनियमिततायें	32	5.83
	योग	**52**	**7.60**
	कुल योग	**529**	**21.94**

वर्ष 2002–03 के दौरान विभाग द्वारा 122 मामलों में 2.66 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किए गये जिसमें से 115 मामलों में 2.61 करोड़ रूपये की वसूली की गयी ।

9.70 करोड़ रूपये वित्तीय प्रभाव के कुछ निदर्शी मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है :

स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

5.2 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क या तो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर या प्रतिफल के मूल्य पर जो उसमें उल्लिखित है, जो भी अधिक हो, प्रभार्य है । उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार एक जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बाजार मूल्य, द्विवार्षिक रूप से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा, पंजीयन अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किया जाता है ।

23 उपनिबंधक कार्यालयों* की लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कृषि इतर भूमि से संबंधित 29 हस्तांतरण विलेख 5.44 करोड़ रुपये की कृषि इतर दर के बजाय विलेख में प्रदर्शित कृषि दर के प्रतिफल 83.09 लाख रूपये पर पंजीकृत किया गया तथा वाणिज्यिक भवनों से संबंधित 3 हस्तांतरण विलेखों को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक दर 46.06 लाख रुपये के बजाय आवासीय दर से 20.19 लाख रूपये के प्रतिफल पर पंजीकृत किया गया। भूमि/भवनों के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप 44.26 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ ।

विभाग एवं शासन द्वारा आपत्ति स्वीकार की गयी तथा बताया गया कि कार्यवाही की जा रही है (दिसम्बर 2003); अग्रेतर प्रगति अपेक्षित है (जनवरी 2004)

5.3 विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के प्रावधानों, सपठित शासकीय स्पष्टीकरण दिनांक 24.9.2002 के अंतर्गत विक्रय प्रमाण–पत्र (उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिए जो अलग–अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई व बेची गयी हो) जो किसी न्यायालय या अधिकारी या संस्था द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलाम से बेचने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक नीलामी से बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये, पर स्टाम्प शुल्क केवल क्रय धन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण के समान प्रभार्य है । हस्तांतरित की गयी सम्पत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू.पी.एफ.सी.) द्वारा निर्गत विक्रय प्रमाणपत्र उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते।

उप निबंधक गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) कार्यालय की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2001–02 के दौरान यू.पी.एफ.सी. द्वारा नीलाम किए गये एक वाणिज्यिक भवन को हस्तांतरण विलेख के बजाय विक्रय प्रमाण–पत्र की भांति पंजीकृत किया गया तथा उस पर तद्नुसार स्टाम्प शुल्क

* आगरा–IV, अलीगंज (एटा), अलीगढ़ I, अलीगढ़ III, अतर्रा (बांदा) बख्शी का तालाब (लखनऊ), भिन्गा (श्रावस्ती), दुद्धी (सोनभद्र), फिरोजाबाद, ज्ञानपुर (सन्त रविदास नगर), जलेसर (एटा), कर्वी (बाँदा), कायमगंज (फर्रूखाबाद), कोराँव (इलाहाबाद) लखनऊ III, महाराजगंज (रायबरेली), मौदहा (हमीरपुर), मुजफ्फरनगर, नौतनवाँ (महाराजगंज), नोयडा I (गौतम बुद्ध नगर), नोयडा II, पटियाली (एटा) तथा उन्नाव।

प्रभारित किया गया। इस प्रकार विलेख के गलत वर्गीकृत किए जाने के कारण 8.34 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

विभाग एवं शासन द्वारा आपत्ति स्वीकार की गयी तथा बताया गया कि कार्यवाही की जा रही है (दिसम्बर 2003)। अग्रेतर प्रगति अपेक्षित है (जनवरी 2004)।

5.4 स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस टेण्डर सह नीलामी नियमावली 1991 के अंतर्गत, उन मामलों में जहां लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा देशी/विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु अनुज्ञापनों के आबंटन के लिए बोली स्वीकृत की गयी है, वहां बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन हेतु अग्रिम जमानत जमा करनी होगी । प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को जिसके पक्ष में लाइसेंस दिया गया हो, लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पत्र पर एक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा । दिनांक 12 अप्रैल 1999 की शासकीय अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि ये विलेख बंधक विलेख की श्रेणी में आते हैं तथा तद्नुसार ही स्टाम्प शुल्क आरोपणीय होगा।

पाँच जिला आबकारी अधिकारियों♦ के अभिलेखों की जाँच में यह पता चला कि वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु अनुज्ञापनों की नीलामी की स्वीकृति पर अनुज्ञापियों ने ठेके के उचित निष्पादन हेतु 25.50 करोड़ रूपये की अग्रिम जमानत जमा किया तथा काउन्टर अनुबन्ध निष्पादित किया जो बंधक विलेख की श्रेणी में आता है जबकि इस प्रकार के विलेखों पर 2.98 करोड़ रूपये का आरोपणीय स्टाम्प शुल्क न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया।

मामले विभाग एवं शासन को मार्च 2002 से सितम्बर 2002 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

भू–राजस्व

5.5 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम बैकिंग कम्पनी या स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि एवं कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) सहित भू–राजस्व के बकाए की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। संग्रहीत किए गए/किए जाने वाले देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय संबंधित इकाईयों/निकायों से वसूल किया जाना है । ऐसे मामलों में जहां अधिग्रहण अधिकारी वसूली

♦ बागपत चन्दौली, हमीरपुर, मऊ तथा उन्नाव

प्रमाणपत्र वापस लेता है या देय धनराशि बकाएदार द्वारा सीधे जमा कर दी जाती है तब भी संग्रह प्रभारों को अधिग्रहण अधिकारी से वसूल किया जाना है।

पाँच तहसील कार्यालयों♥ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 34 मामलों में वसूली प्रमाण–पत्र में प्रदर्शित 20.40 लाख रूपये की धनराशि राजस्व अधिकारियों द्वारा संग्रहीत की गयी एवं अधिग्रहण अधिकारियों को जमा की गयी तथा 25 मामलों में बकाएदारों द्वारा अधिग्रहण अधिकारियों को 41.98 लाख रूपये सीधे जमा किया गया तथा उनके वसूली प्रमाणपत्रों को वापस ले लिया गया लेकिन 6.24 लाख रूपये का संग्रह प्रभार विभाग द्वारा उपरोक्त मामलों में वसूल नहीं किया गया।

मामले, विभाग एवं शासन को जनवरी 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य प्रतिवेदित किए गए; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

विद्युत शुल्क

5.6 विद्युत शुल्क का न/कम लगाया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत किसी उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार विद्युत शुल्क आरोपणीय है। शासन ने यह स्पष्ट किया था (अगस्त 1995) कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैन्य कर्मियों को प्रभार मुक्त रियायती दरों पर आपूर्ति की गयी ऊर्जा की खपत पर विद्युत शुल्क की गणना, उसी पूर्ण दर पर की जाएगी जो दरें अन्य उपभोक्ताओ पर लागू होती हैं।

छः नियुक्त प्राधिकारियों♠ की लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि दिसम्बर 1998 तथा मई 2002 के मध्य रक्षा कर्मियों, रेल कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों को उनके घरेलू उपभोग के लिए 357.78 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की गयी। 32.20 लाख रूपये विद्युत शुल्क प्रभार्य था जिसमें से केवल 3.90 लाख रूपये वसूल किया गया। इसके फलस्वरूप 28.30 लाख रूपये विद्युत शुल्क की कम वसूली हुयी।

विभाग एवं शासन द्वारा आपत्ति स्वीकार की गयी और बताया गया कि कार्यवाही की जा रही है (दिसम्बर, 2003) अग्रेतर प्रगति अपेक्षित है (जनवरी, 2004)।

5.7 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश विद्युत (कर) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मीटर रीडिंग लिए जाने के माह की समाप्ति के दो

♥ आगरा सदर, आँवला (बरेली), कासगंज (एटा), लखनऊ सदर तथा शिकारपुर (बुलन्दशहर)

♠ वरिष्ठ मंडल अभियंता (विद्युत), उ0रे0 लखनऊ, महा प्रबंधक, आयुध निर्माणी कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज कानपुर, विद्युत अभियंता, डाला सीमेंट फैक्टरी डाला (सोनभद्र), दुर्ग अभियंता (एम.ई.एस) पूर्व, लखनऊ तथा दुर्ग अभियंता (एम.ई.एस) कैंट, कानपुर

माह के अन्दर विद्युत शुल्क जमा किया जाना अपेक्षित है । अग्रेतर, शेष भुगतान न किए गये विद्युत शुल्क की धनराशि पर अनुज्ञापी/परिषद् या अन्य व्यक्ति से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी प्रभार्य है ।

कार्यालय निदेशक (विद्युत सुरक्षा) उ.प्र. लखनऊ के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश पावर निगम द्वारा अप्रैल 2002 से अगस्त 2002 की अवधि के लिए देय विद्युत शुल्क 57.98 करोड़ रूपये, शासन द्वारा 31 मार्च 2003 को दी गयी आर्थिक सहायता से समायोजित कर लिया गया लेकिन 5.86 करोड़ रूपये निगम द्वारा देय ब्याज शासन द्वारा वसूल नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 5.86 करोड़ रूपये ब्याज की वसूली नहीं हुयी ।

विभाग एवं शासन द्वारा आपत्ति स्वीकार की गयी और बताया गया कि कार्यवाही की जा रही है (दिसम्बर 2002) । अग्रेतर प्रगति अपेक्षित है (जनवरी 2004)।

अध्याय–6 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–03 के दौरान लेखा परीक्षा में संबंधित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 232 मामलों में 213.11 करोड़ रूपये की कम वसूली/राजस्व हानि का पता चला जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
	वन विभाग		
1.	विभागीय अनियमितताओं के कारण राजस्व क्षति	7	1.12
2.	रायल्टी की वसूली न होना	20	6.22
3.	आरा मिलों के पंजीकरण न किए जाने से राजस्व क्षति	2	0.0005
4.	अर्थदण्ड का न/कम लगाया जाना	8	0.99
5.	तेंदू पत्तों के संग्रहण/निस्तारण में अनयिमितताएं	3	26.06
6.	पट्टा किराया का वसूल न किया जाना	6	2.09
7.	अन्य अनियमितताएं	142	174.26
	योग	**188**	**210.74**
	लोक निर्माण विभाग		
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयेाग	2	0.03
2.	स्टाम्प शुल्क का न/कम लगाया जाना	4	0.01
3.	सेन्टेज प्रभार का अनारोपण	1	0.12
4.	खाली ड्रम/बोरियों के नीलाम न किए जाने से राजस्व हानि	1	0.0009
5.	निरीक्षण भवनों तथा अतिथि गृहों का किराया वसूल न किया जाना	6	0.18
6.	अन्य अनियमितताएं	30	2.03
	योग	**44**	**2.37**
	कुल योग	**232**	**213.11**

वन विभाग

6.2 बांस का विदोहन न किये जाने के कारण राजस्व की क्षति ।

राज्य सरकार ने विन्ध्य क्षेत्र के बांस वनों में संकुलन की ज्वलंत समस्या के कारणों की जांच करने एवं सुधारात्मक सुझाव देने के लिए 1998 में एक समिति की नियुक्ति किया। समिति ने अन्य

सुझावों के साथ–साथ नवम्बर 1999 में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार बांसों के निर्धारित पातन चक्र का पालन एवं प्राकृतिक तथा रोपवन बांस क्षेत्रों में नियमित संवर्धन कार्य सुनिश्चित किया जाना निर्धारित था ।

प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं ओबरा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1998–99 से 2001–02 पातन चक्र के मध्य प्रभागों द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) को 56.39 लाख रूपये मूल्य के 22.25 लाख बांसों का आवंटन 38 लाटों में किया गया था परन्तु निगम द्वारा संवर्धन कार्य नहीं कराये जाने से संकुलित होने के कारण विदोहन योग्य नहीं होने की दलील देकर इन लाटों पर कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार बाँसों के नियमित वार्षिक संवर्धन कार्य सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी कार्य योजनाओं के प्रावधानों तथा समिति की संस्तुतियों के पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप 56.39 लाख रूपये राजस्व की क्षति हुयी। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक बांस वन क्षेत्रों में नये बांसों के पुनर्जनन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रभागों द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2002) कि बजट प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण संवर्धन कार्य नहीं किया जा सका । उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि प्रभागों द्वारा 1998–99 से 2002–03 के मध्य संवर्धन कार्य हेतु निधि आवंटन की माँग नहीं की गयी थी ।

उत्तर में विभाग एवं शासन द्वारा आपत्ति स्वीकार की गई तथा यह बताया गया निधि की अनुपलब्धता के कारण संवर्धन कार्य नहीं किया जा सका (जनवरी 2004)।

लोक निर्माण विभाग

6.3 रायल्टी जमा का सत्यापन न किया जाना

उत्तर प्रदेश खान खनिज (छूट) नियमावली, 1963 के अनुसार खान/वन विभाग को निर्धारित दर पर रायल्टी के भुगतान पर केवल खदानों से लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा पत्थर की गिट्टी/रेत प्राप्त की जाएगी । दिनांक 22 सितम्बर 1988 के शासनादेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ठेकेदार को बिल भुगतान किए जाने के पूर्व, लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार ने रायल्टी का भुगतान खान/वन विभाग को कर दिया है। अग्रेतर, ठेकेदार द्वारा खान/वन विभाग से रायल्टी भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जिसमें विफल रहने पर रायल्टी की धनराशि की वसूली उनके बिल से की जायेगी ।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया तथा निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2.27 करोड़ रूपये की धनराशि ठेकेदारों को भुगतान की गयी जिसमें 79310.85 घनमीटर पत्थर की रोड़ी व बजरी का मूल्य सम्मिलित था। यह सत्यापित किए बिना कि ठेकेदारों ने खान/वन विभाग को रायल्टी का भुगतान कर दिया है अथवा उनके देयकों से रायल्टी धनराशि की कटौती किए बिना, ये भुगतान किए गये। उपरोक्त निर्देशों

के अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप शासन को 15.86 लाख रूपये राजस्व की हानि हुयी।

मामला, विभाग एवं शासन को अप्रैल 2002 तथा फरवरी 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2003)।

लखनऊ
दिनांक 28 जुलाई 2004

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–द्वितीय,
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 06 अगस्त 2004

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

शुद्धि पत्र

पृष्ठ सं0	प्रस्तर सं0	पंक्ति सं0 आदि	के स्थान पर	पढ़ें
11	2.2.2	सारिणी क्रमांक, 1 कालम, 6	3.48 3.48	3.48
17	2.7.5	आठवीं	ई– –	ई–1
20	2.9	सातवीं	अधिकारियों द्वारा	अधिकारी
29	3.2.1	चौथी	जिनके	जिन के
30	3.2.5	बारहवीं	प्रतिभूति	प्रतिभूति 13.06 करोड़ रूपये
35	3.2.14	दूसरी	13.27	12.87
35	3.2.15 (i)	दूसरी	रिसाब	रिसाव
37	3.2.16	तीसरी	हुए	हुई
37	3.2.17	पहली	विचार्णीय	विचारणीय
39	4.2	शीर्षक के नीचे	अमुद्रित	2.96 करोड़ रूपये के अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण (प्रस्तर 4.2.6)
53	6.1	सारिणी के ऊपर	अमुद्रित	(करोड़ रूपये में)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित
2004

मूल्य : रु. 65 डालर 5

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2004

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ में मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ – 226 002
फोन : 2481164, 2483354